भारतीय रिज़र्व बैंक

RESERVE BANK OF INDIA

www.rbi.org.in

भारिबैं/2011-12/79

शबैंवि.बीपीडी. (पीसीबी). मा परि .सं. 16/12.05.001/2011-12 1 जुलाई 2011

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के

महोदया /महोदय

अपने ग्राहक को जानिए' मानदंड/धनशोधन निवारण मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध / धनशोधन निवारण अधिनियम (पी एम एल ए) , 2002 के अन्तर्गत बैंकों के दायित्व पर मास्टर परिपत्र

कृपया उपर्युक्त विषय पर 1 जुलाई 2010 का हमारा मास्टर परिपत्र शबैंवि.बीपीडी. (पीसीबी). मा परि .सं. 16/12.05.001/2009-10 देखें (भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट http://www.rbi.org.in पर उपलब्ध)।संलग्न मास्टर परिपत्र में 30 जून 2011 तक जारी सभी अनुदेशों/दिशा-निर्देशों को समेकित और अद्यतन किया गया है तथा परिशिष्ठ में उल्लिखित है।

भवदीया
(उमा शंकर)
मुख्य महाप्रबंधक

संलग्नक: यथोक्त

संरचना

पैरा सं	विवरण	पृष्ठ सं.
1	प्रस्तावना	3
1.1	अपने ग्राहक को जानिए / धन शोधन निवारण/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध	3
1.2	ग्राहक की परिभाषा	3
2	दिशानिर्देश	4
2.1	सामान्य	4
2.2	‘अपने ग्राहक को जानिए’ संबंधी नीति	4
2.3	ग्राहक स्वीकरण नीति (सीएपी)	4
2.4	ग्राहक पहचान क्रियाविधि (सीआइपी)	6
2.5	ग्राहक पहचान अपेक्षाएं - सांकेतिक दिशानिर्देश	7
2.6	छोटी जमाराशि वाले खाते	11
2.7	लेनदेनों की निगरानी	12
2.8	खाता बंद करना	13
2.9	जोखिम प्रबंधन	13
2.10	नयी प्रौद्योगिकियों का प्रयोग - क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/स्माटा कार्ड/ गिफ्ट कार्ड	14
2.11	आंतकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध	14
2.12	संपर्ककर्ता बैंकिंग (कॉरेस्पोंडेंट बैंकिंग)	19
2.13	वायर अंतरण	20
2.14	प्रधान अधिकारी	22
2.15	लेनदेनों के रिकार्डों का रखरखाव / परिरक्षण की जानेवाली सूचना / रिकार्डों का परिरक्षण और रखरखाव / वित्तीय आसूचना इकाई - भारत को नकदी और संदिग्ध लेनदेनों की रिपोर्टिंग	23
2.16	नकदी / संदेहजनक लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर)	27
2.17	ग्राहक शिक्षण / कर्मचारियों का प्रशिक्षण / कर्मचारियों को काम पर रखना	29
	अनुबंध	
	अनुबंध I - खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की निदर्शी सूची	30
	अनुबंध II - रिपोर्टिंग फार्मेट की सूची	32
	परिशिष्ट - मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची	33

अपने ग्राहक को जानिए / धन शोधन निवारण/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध / पीएमएलए 2002 के अंतर्गत बैंकों का दायित्व

प्रस्तावना

1. अपने ग्राहक को जानिए / धन शोधन निवारण/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध संबंधी दिशानिर्देशों का उद्देश्य धन शोधन अथवा आतंकवाद के वित्तपोषण से संबंधित गतिविधियों के लिए अपराधी तत्त्वों द्वारा, जानबूझकर या अनजाने ही, बैंकों का इस्तेमाल किए जाने से रोकना है। "अपने ग्राहक को जानिए" क्रियाविधि से बैंकों को अपने ग्राहकों तथा उनके वित्तीय लेन-देन को जानने /समझने का बेहतर अवसर मिलता है जिससे बैंकों को अपने जोखिमों का प्रबंधन विवेकपूर्ण तरीके से करने में मदद मिलती है । बैंकों से कहा गया था कि वे ग्राहकों के खाते खोलने और संदेहास्पद लेनदेन पर नजर रखने के लिए ग्राहकों की पहचान के मामले में एक निश्चित प्रक्रिया का पालन करें ताकि संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट उपयुक्त प्राधिकारियों को दी जा सके। धन शोधन निवारण मानदंडों और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने के लिए ''फाइनेन्शल एक्शन टास्क फोर्स'' (एफएटीएफ) द्वारा दी गयी सिफारिशों के परिप्रेक्ष्य में इन ''अपने ग्राहक को जानिए'' दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया है । एफएटीएफ की सिफारिशों के आधार पर और बैंकिंग पर्यवेक्षण के संबंध में बासेल समिति द्वारा बैंकों को ग्राहक के संबंध में उचित सावधानी बरतने के मामले में जारी किये गये पेपर के आधार पर (जहां भी आवश्यक समझा गया है वहां संकेतात्मक सुझावों के साथ) व्यापक दिशानिर्देश जारी किये गये हैं । बैंकों को सूचित किया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके निदेशक मंडलों के अनुमोदन से, ''अपने ग्राहक को जानिए'' और धन शोधन निवारण के मामले में उपयुक्त नीति बनायी और लागू की जाती है । भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35 ख के अंतर्गत यह दिशानिर्देश जारी किए है तथा इनका उल्लंघन या अनुपालन न करने पर अधिनियम के संबंधित प्रावधान के अनुसार दंड हो सकता है।

ग्राहक की परिभाषा

1.2 अपने ग्राहक को जानिए" नीति के प्रयोजन हेतु ''ग्राहक'' की परिभाषा निम्नानुसार दी गयी है :

- कोई व्यक्ति या संस्था जो खाता खोलता /खोलती है और / या जिसका बैंक के साथ कारोबारी संबंध है;
- कोई ऐसा व्यक्ति या संस्था जिसकी ओर से खाता खोला जाता है (अर्थात् हितार्थी स्वामी);
- व्यावसायिक मध्यस्थों, जैसे स्टॉक ब्रोकर, चार्टर्ड एकाउंटेंट, सॉलीसिटर इत्यादि, द्वारा (जैसा कि कानून द्वारा अनुमत हो) किये गये लेन-देन के हिताधिकारी, और
- किसी वित्तीय लेन-देन (जो बैंक के लिए प्रतिष्ठा संबंधी या कोई अन्य बड़ा जोखिम पैदा कर सकता है - जैसे किसी एक लेन-देन से रूप में तार अंतरण या उच्च मूल्य का मांग ड्राफ्ट जारी किया जाना) से जुड़ा कोई व्यक्ति या संस्था ।

2. दिशानिर्देश

2.1 सामान्य

i) बैंकों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि खाता खोलने के लिए ग्राहकों से एकत्र की गयी सूचना को गोपनीय समझा जाता है और सेवाओं के प्रतिविक्रय या किसी अन्य प्रयोजन के लिए ऐसे विवरण दूसरों को प्रकट नहीं किया जाता है । अतः बैंक यह सुनिश्चित करें कि ग्राहकों से मांगी गयी सूचना संभावित जोखिम से संबद्ध / के अनुरूप हो, वे कोई ऐसी सूचना न मांगें जो अनावश्यक दखलंदाजी हो, तथा ऐसी सूचना इस संबंध में जारी किए गये दिशानिर्देशों के अनुरूप हो । ग्राहक से कोई अन्य सूचना उसकी सहमति से तथा खाता खोलने के बाद अलग से मांगी जानी चाहिए।

ii) बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि 50 हजार रुपये या उससे अधिक मूल्य के मांग ड्राफ्ट /तार अंतरण या किसी अन्य प्रकार से निधियों का विप्रेषण और यात्री चेक जारी करना, ग्राहक के खाते में डेबिट करके या चेक के आधार पर (नकद भुगतान के आधार पर नहीं) किया जाता है।

iii) बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जहां कहीं भी लागू हो, वहां विदेशी अंशदान और विनियमन अधिनियम, 1976 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जाये ।

अपने ग्राहक को जानिए संबंधी नीति

2.2 बैंकों को "अपने ग्राहक को जानिए" संबंधी नीतियां बनाते समय निम्नलिखित चार प्रमुख तत्वों को शामिल करना चाहिए :

(क) ग्राहक स्वीकरण नीति;
(ख) ग्राहक पहचान क्रियाविधि;
(ग) लेनदेन की मॉनीटरिंग; और
(घ) जोखिम प्रबंधन

2.3 ग्राहक स्वीकरण नीति (सी ए पी)

क) बैंकों को ग्राहकों को स्वीकार करने के लिए स्पष्ट मानदंड निर्धारित करके एक स्पष्ट ग्राहक स्वीकरण नीति तैयार करनी चाहिए । यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ग्राहक स्वीकरण नीति में बैंक में ग्राहक-संबंध के निम्नलिखित पहलुओं पर स्पष्ट दिशानिर्देश निश्चित कर दिये गये हैं ।

(i) अज्ञातनाम / छद्मनाम से या फर्जी /बेनामी नामों से कोई खाता न खोला जाय;

(ii) कारोबार के स्वरूप, ग्राहक के स्थान, भुगतान के तरीके, टर्न ओवर की मात्रा, ग्राहक की सामाजिक और आर्थिक स्थिति इत्यादि के अनुसार जोखिम निर्धारण संबंधी मानदंड स्पष्टतः

निश्चित कर दिए जाने चाहिए ताकि ग्राहकों को कम जोखिम, मध्यम जोखिम और उच्च जोखिम श्रेणियों (बैंक अन्य उपयुक्त नाम भी चुन सकते हैं - जैसे स्तर I, स्तर II और स्तर III) में विभाजित किया जा सके; जिन ग्राहकों के लिए बहुत उच्च स्तर की मॉनिटरिंग जरूरी है - जैसे पोलिटिकली एक्सपोज़्ड पर्सन को आवश्यकता पड़ने पर और उच्चतर श्रेणी में रखा जा सकता है;
(iii) संभावित जोखिम के आधार पर और धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की अपेक्षाओं तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किये गए दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न श्रेणियों के ग्राहकों के मामले में दस्तावेजों संबंधी अपेक्षाएँ तथा एकत्र की जाने वाली अन्य सूचना;

(iv) जिन मामलों में बैंक ग्राहकों के संबंध में उचित सावधानी संबंधी उपाय लागू न कर पायें (जैसे जिन मामलों में ग्राहक के असहयोग के कारण या बैंक को उपलब्ध कराये गए आंकड़ों / सूचना की अविश्वसनीयता के कारण जोखिम की श्रेणी के अनुसार बैंक ग्राहक की पहचान का सत्यापन कर सकने में असमर्थ हो) उन मामलों में खाता न खोलना या मौजूदा खाते बंद कर देना ।तथापि, यह जरूरी है कि इस मामले में पूर्व निश्चित व्यवस्था विद्यमान हो ताकि किसी ग्राहक को अनावश्यक परेशानी न उठानी पड़े । उदाहरण के लिए किसी ग्राहक को, उसका खाता बंद करने के निर्णय का कारण बताते हुए उसे उचित नोटिस देने के बाद ही, काफी उच्च स्तर पर खाता बंद करने का निर्णय लिया जाना चाहिए ।

(v) जिन परिस्थितियों में किसी ग्राहक को किसी अन्य व्यक्ति / संस्था की ओर से काम करने की अनुमति दी जाए उनके बारे मे, स्थापित बैंकिंग विधि और व्यवहार के अनुरूप स्पष्ट उल्लेख कर दिया जाना चाहिए क्योंकि ऐसे अवसर आ सकते हैं जब किसी आदेश-धारक (मैनडेट होल्डर) द्वारा कोई खाता परिचालित किया जाए या किसी मध्यस्थ द्वारा न्यासीय क्षमता में /हैसियत से खाता खोला जाए, और

(vi) कोई नया खाता खोलने से पहले आवश्यक जांच-पड़ताल करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई ग्राहक किसी ऐसे व्यक्ति से न मिलता-जुलता हो जिसकी आपराधिक पृष्ठभूमि हो या जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया हो (जैसे व्यक्तिगत आतंकवादी या आतंकवादी संगठन इत्यादि)।

ख) बैंक जोखिम की श्रेणी का ध्यान रखते हुए प्रत्येक नये ग्राहक के लिए एक प्रोफाइल तैयार करें । ग्राहक की प्रोफाइल में ग्राहक की पहचान, उसकी सामाजिक /आर्थिक हैसियत, उसके कारोबार का स्वरूप, उसके ग्राहकों के कारोबार तथा स्थान से संबंधित सूचना शामिल की जानी चाहिए । उचित सावधानी का स्वरूप और उसकी सीमा बैंक द्वारा अनुमानित जोखिम पर निर्भर होगी । तथापि ग्राहकों

का प्रोफाइल तैयार करते समय बैंकों को ग्राहकों से केवल वही सूचना मांगनी चाहिए जो जोखिम की श्रेणी से संबंध रखती हो तथा वे ऐसी कोई सूचना न मांगें जो अनावश्यक दखलंदाजी हो । ग्राहक प्रोफाइल एक गोपनीय दस्तावेज होगा तथा उसमें दिये गये विवरण सेवाओं के प्रतिविक्रय या किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रकट नहीं किये जाएंगे ।

ग) जोखिम वर्गीकरण के प्रयोजन के लिए, उन व्यक्तियों (उच्च निवल मूल्य वालों को छोड़कर) और कंपनियों को, जिनके संबंध में पहचान तथा संपत्ति के स्रोतों का आसानी से पता लगाया जा सकता है और जिनके खातों के लेनदेन कुल मिलाकर ज्ञात प्रोफाइल के अनुरूप है, कम जोखिम के रूप में वर्गीकृत करें। कम जोखिम वाले ग्राहकों के उदाहरण, वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी जिनके वेतन का ढांचा सुपरिभाषित है; समाज के निम्न आर्थिक स्तर वाले लोग जिनके खातों में छोटी शेषराशियाँ और कम लेनदेन होता है; सरकारी विभाग एवं सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियां, विनियामक और सांविधिक निकाय आदि हो सकते हैं। ऐसे मामलों में, केवल पहचान और ग्राहक के पते का सत्यापन करने की मूलभूत आवश्यकता को पूरा करना नीतिगत अनिवार्यता हो। जो ग्राहक बैंक के लिए औसत से उच्चतर जोखिम पैदा करने की संभावना रखते हैं उन्हें मध्यम अथवा उच्च जोखिम के रूप में वर्गीकृत किया जाए जो ग्राहक की पृष्ठभूमि, कार्यकलाप का स्वरूप और स्थान, मूल देश, निधियों के स्रोत और ग्राहक के प्रोफाइल आदि पर निर्भर होगा। बैंक जोखिम मूल्यांकन पर आधारित उचित सावधानी बरतने के अधिक उपाय करें, जिसमें यह अपेक्षित होगा कि विशेषकर जिनके निधियों के स्रोत स्पष्ट नहीं हैं ऐसे उच्चतर जोखिम ग्राहकों के लिए गहन 'उचित सावधानी' लागू की जाए । जिनके लिए उच्चतर उचित सावधानी आवश्यक है ऐसे ग्राहकों के उदाहरण हैं; (क) अनिवासी ग्राहक, (ख) उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्ति, (ग) न्यास, धर्मादाय, गैर-सरकारी संगठन और दानराशियां प्राप्त करने वाले संगठन, (घ) ऐसी कंपनियां जिनमें निकट परिवार में शेयरधारिता अथवा हितार्थी स्वामित्व है, (ङ) 'निष्क्रिय साझेदार' वाले फर्म, (च) विदेशी मूल के पोलिटिकली एक्सपोज़्ड पर्सन (पी ई पी), (छ) अप्रत्यक्ष (नॉन फेस टू फेस) ग्राहक, (ज) उपलब्ध सार्वजनिक सूचना के अनुसार धोखेबाज़ के रूप में बदनाम ग्राहक आदि। तथापि, संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा उसकी एजेन्सियों द्वारा प्रवर्तित एनपीओ/एनजीओ को कम जोखिम वाले ग्राहक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

घ) यह बात ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि ग्राहक स्वीकरण नीति को अपनाना एवं उसका कार्यान्वयन अत्यधिक प्रतिबंधात्मक नहीं होना चाहिए और इसका परिणाम सामान्य जनता, विशेषकर वित्तीय और सामाजिक तौर पर प्रतिकूल परिस्थिति वाले लोगों को बैंकिंग सेवाएं नकारने में नहीं होना चाहिए ।

ग्राहक पहचान क्रियाविधि (सी आइ पी)

2.4 (क) बैंकों के बोर्डों द्वारा अनुमोदित उक्त नीति में विभिन्न स्तरों पर, अर्थात् बैंकिंग संबंध स्थापित करते समय, वित्तीय लेनदेन करते समय अथवा यदि पहले प्राप्त की गई ग्राहक पहचान संबंधी जानकारी की विश्वसनीयता /सत्यता अथवा पर्याप्तता के बारे में बैंक को कोई संदेह हो तो उस समय, की जाने वाली ग्राहकों को पहचानने की क्रियाविधि की सुस्पष्ट जानकारी दी जानी चाहिए। ग्राहक की पहचान से तात्पर्य ग्राहक को अभिनिर्धारित करना और विश्वसनीय, स्वतंत्र स्त्रोत दस्तावेज़ों, डेटा या सूचना द्वारा उनका सत्यापन करना। बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे प्रत्येक नये ग्राहक, चाहे वह नियमित हो या कभी कदा आने वाला हो का अभिनिर्धारण अपनी संतुष्टि होने तक करने हेतु आवश्यक पर्याप्त जानकारी और उसके बैंकिंग संबंध के अभिप्रेत स्वरूप के प्रयोजन की जानकारी प्राप्त करें। संतुष्ट होने का अर्थ यह है कि संबंधित बैंक सक्षम प्राधिकारियों को इस बात से संतुष्ट करा सकता है कि मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुपालन में ग्राहक के संबंध में जोखिम के स्वरूप पर आधारित उचित सावधानी बरती गई है। इस प्रकार का जोखिम आधारित दृष्टिकोण बैंकों के अनावश्यक खर्च से बचने तथा ग्राहकों की दृष्टि से बोजिल व्यवस्था को टालने के लिए आवश्यक है। जोखिम निर्धारण के अलावा, आवश्यक सूचना/दस्तावेज़ों का स्वरूप भी ग्राहक के प्रकार (वैयक्तिक, कंपनी आदि) पर निर्भर होगा। जो ग्राहक 'नेचुरल' व्यक्ति हैं बैंकों को चाहिए कि उनसे उनकी पहचान उनका पता/स्थान सत्यापित करने के लिए पर्याप्त अभिनिर्धारण डेटा तथा उनका हाल ही का फोटोग्राफ भी प्राप्त करें। जो ग्राहक विधिक व्यक्ति अथवा संस्थाएँ हैं, उनके लिए बैंक को चाहिए कि वे (i) उचित एवं संगत दस्तावेजों के माध्यम से उक्त विधिक व्यक्ति /संस्था के विधिक दर्जे का सत्यापन करें, (ii) विधिक व्यक्ति /संस्था की ओर से कार्य करने का दावा करने वाले व्यक्ति के बारे में यह सत्यापित करें कि उसे इसके लिए प्राधिकृत किया गया है, और उस व्यक्ति विशेष की पहचान को सत्यापित किया जाए, (iii) ग्राहक का स्वामित्व और नियंत्रण संरचना को समझें और अंततः विधिक व्यक्ति का नियंत्रण करने वाले 'नेचुरल' व्यक्तियों को निर्धारित करें। बैंकों के मार्गदर्शन के लिए कुछ विशिष्ट मामलों के संबंध में ग्राहक पहचान अपेक्षाएँ , विशेषकर ऐसे विधिक व्यक्ति के संबंध में जिनके लिए अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता है, नीचे पैरा 2.5 में दी गयी हैं । तथापि, बैंक ऐसे व्यक्तियों /संस्थाओं के साथ व्यवहार संबंधी अपने अनुभव, सामान्य बैंकरों के विवेक तथा स्थापित प्रथाओं के अनुसार विधिक आवश्यकताओं के आधार पर अपने आंतरिक दिशानिर्देश तैयार करें। यदि बैंक ग्राहक स्वीकृति नीति के अनुसरण में ऐसे खातों को स्वीकार करने का निर्णय लेता है तो संबंधित बैंक को चाहिए कि वे हितार्थी स्वामी /स्वामियों को अभिनिर्धारित करने हेतु समुचित कदम उठाएँ और उसकी /उनकी पहचान इस प्रकार करें ताकि इस बात की संतुष्टि हो जाए कि हितार्थी स्वामी कौन हैं।

ख) यह पाया गया है कि कुछ नजदीकी रिश्तेदारों को, उदाहरण के लिए, अपने पति, पिता/माता तथा पुत्र के साथ रहने वाली पत्नी, पुत्र, पुत्री तथा माता-पिता आदि, को कुछ बैंकों में खाता खोलने में कठिनाई हो रही है क्योंकि पते के सत्यापन के लिए आवश्यक यूटिलिटी बिल उनके नाम पर नहीं हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे मामलों में बैंक भावी ग्राहक जिस रिश्तेदार के साथ रहता है उससे इस आशय का एक घोषणा पत्र कि खाता खोलने के लिए इच्छुक उक्त व्यक्ति (भावी ग्राहक) उसका रिश्तेदार है और उसके साथ रहता है तथा उसका पहचान दस्तावेज तथा यूटिलिटी बिल प्राप्त कर सकता है। पते के और अधिक सत्यापन के लिए बैंक डाक से प्राप्त पत्र जैसे अनुपूरक साक्ष्य का उपयोग कर सकता है। इस विषय पर शाखाओं को परिचालन संबंधी अनुदेश जारी करते समय बैंकों को रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का भाव ध्यान में रखना चाहिए और उन व्यक्तियों को जिन्हें कम जोखिम वाले ग्राहकों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, होने वाली अनुचित कठिनाइयों को टालना चाहिए।

ग) खाता खोलने के बाद बैंकों को ग्राहक पहचान संबंधी जानकारी (फोटोग्राफ सहित) को आवधिक रूप से अद्यतन करने की एक प्रणाली भी प्रारंभ करनी चाहिए। इस तरह से ग्राहक पहचान संबंधी जानकारी को अद्यतन बनाने की आवधिकता कम जोखिम श्रेणी के ग्राहकों के मामले में पांच वर्ष में एक बार से कम नहीं होनी चाहिए और उच्च तथा मध्यम जोखिम श्रेणियों के मामले में दो वर्ष में एक बार से कम नहीं होनी चाहिए।

घ) ग्राहक की पहचान के लिए जिस प्रकार के दस्तावेजों/सूचना को विश्वसनीय माना जा सकता है, उनकी एक निर्देशात्मक सूची इस मास्टर परिपत्र के अनुबंध I में दी गयी है । यह स्पष्ट किया जाता है कि अनुबंध I में उल्लिखित स्थायी सही पता का तात्पर्य उस पते से हैं जिस पर कोई व्यक्ति सामान्यतः निवास करता है । किसी युटिल्टिी बिल या ग्राहक के पते के सत्यापन के लिए बैंक द्वारा स्वीकृत किसी अन्य दस्तावेज में उल्लिखित पते को स्थायी सही पता माना जा सकता है ।

च) हमें यह सूचना मिली है कि अनुबंध I में प्रस्तुत निर्देशात्मक सूची को कुछ बैंक एक संपूर्ण सूची के रूप में मानते हैं, जिसके परिणामस्वरूप जनता के एक हिस्से को बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच से वंचित रखा जा रहा है। अतः बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे इस संबंध में अपने मौजूदा आंतरिक अनुदेशों की समीक्षा करें।

ग्राहक पहचान संबंधी अपेक्षाएं - सांकेतिक दिशानिर्देश

2.5 (i) न्यास/नामिती अथवा न्यासी खाते

यह संभावना हो सकती है कि न्यास /नामिती अथवा न्यासी खातों का, ग्राहक पहचान क्रियाविधियों से बचने के लिए उपयोग किया जा सकता है । बैंकों को यह निश्चित कर लेना चाहिए कि क्या ग्राहक न्यासी /नामिती अथवा किसी अन्य मध्यवर्ती के रूप में किसी अन्य व्यक्ति की ओर से कार्य कर रहा है यदि ऐसा है तो बैंक को उन ग्राहकों से, जिनकी ओर से वे काम कर रहे हैं, उन मध्यवर्तियों अथवा

व्यक्तियों की पहचान का संतोषजनक साक्ष्य प्राप्त करने पर जोर देना चाहिए तथा न्यास के स्वरूप तथा अन्य निर्धारित व्यवस्थाओं के ब्यौरे भी प्राप्त करना चाहिए । किसी न्यास के लिए खाता खोलते समय, बैंकों को न्यासियों तथा न्यास के अवस्थापकों (जिनमें न्यास में आस्तियां लगाने वाला कोई व्यक्ति शामिल है), अनुदान देनेवालों, संरक्षकों, हिताधिकारियों तथा - हस्ताक्षरकर्ताओं की पहचान को सत्यापित करने की उचित सावधानी बरतनी चाहिए। हिताधिकारियों को जब भी परिभाषित किया गया हो तब उनकी पहचान कर ली जानी चाहिए। फाउंडेशन के मामले में, संस्थापक प्रबंधकों /निदेशकों तथा हिताधिकारियों को जब भी परिभाषित किया गया हो तब उनका सत्यापन करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए ।

ii) कंपनियों तथा फर्मों के खाते

(क) बैंकों को बैंकों में खाते रखने के लिए व्यक्तियों द्वारा बिजनेस कंपनियों का एक 'फ्रंट' के रूप में उपयोग करने के मामले में सतर्क रहना आवश्यक है । बैंकों को कंपनी के नियंत्रक ढांचे की जांच करनी होगी, निधियों के स्रोत का पता करना होगा तथा उन नेचुरल व्यक्तियों की पहचान करनी होगी जिनका नियंत्रक हित है और जो प्रबंधतंत्र का एक हिस्सा हैं । इन अपेक्षाओं को जोखिम बोध के अनुसार कम-अधिक किया जा सकता है - उदाहरण के लिए, सार्वजनिक कंपनी के मामले में सभी शेयरधारकों को पहचानना आवश्यक नहीं होगा ।

(ख) उपभोक्ता वस्तु तथा सेवाओं के लिए कार्यरत बहुस्तरीय मार्केटींग एजन्सीज (एमएलएम) अधिक ब्याज का वादा करते हुए विभिन्न बैंकों की शाखाओं में खाते खोलकर जनता से बहुत बडी मात्रा में जमाराशि संघटीत कर रहे है । यह राशि करोडो में है और इसे एमएलएम फर्म के मूल खाते में जमा किया जा रहा है तथा इसका उपयोग अवैध या जोखिम भरे प्रयोजन के लिए किया जा रहा हैं । तदनुसार स्वामित्व प्रतिष्ठान के नाम से एजंसी के खाते खोलते समयनिम्नलिखित दस्तावेजों की मांग करें तथा सत्यापन करें।

(i) पहचान तथा मालिक के पते का प्रमाण जैसे पासपोर्ट, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटो सहित राशन कार्ड आदि - उपर्युक्त में से कोई एक दस्तावेज प्राप्त करें।

(ii) नाम का प्रमाण, प्रतिष्ठान की गतिविधियां तथा पता, जैसे पंजीकरण प्रमाणपत्र (पंजीकृत प्रतिष्ठान के मामले में), शॉप और एस्टाबलिशमेंट अधिनियम के अंतर्गत नगरपालिका प्राधिकारियों द्वारा जारी प्रमाणपत्र / लाइसेंस, सेल्स और इनकम टैक्स रिर्टन, सीएसटी / विएटी प्रमाणपत्र, पंजीकृत प्रधिकारी द्वारा जारी लाइसेंस जैसे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान, इंन्स्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाऊंटंट ऑफ इंडिया, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान, इंडियन मेडिकल कौंसिल, अन्न और औषधि नियंत्रण प्राधिकारी आदि द्वारा जारी व्यवसाय प्रमाणपत्र - इनमें से कोई दो दस्तावेज स्वामित्व प्रतिष्ठान के नाम होने चाहिए।

iii) व्यावसायिक मध्यवर्तियों द्वारा खोले गये ग्राहक खाते

जब किसी बैंक को यह पता है अथवा ऐसा विश्वास करने का कारण है कि व्यावसायिक मध्यवर्ती द्वारा खोला गया ग्राहक खाता किसी एकल ग्राहक के लिए है तो उस ग्राहक की पहचान कर ली जानी चाहिए। बैंकों के पास म्युच्युअल निधियों, पेन्शन निधियों अथवा अन्य प्रकार की निधियों जैसी संस्थाओं की ओर से व्यावसायिक मध्यवर्तियों द्वारा प्रबंधित 'समूहित' खाते हो सकते हैं। बैंकों में विविध प्रकार के ग्राहकों के लिए 'ऑन डिपाज़िट' अथवा 'इन एस्क्रो' धारित निधियों के लिए वकीलों /चार्टर्ड एकाउंटंट्स् अथवा स्टॉक ब्रोकरों द्वारा प्रबंधित 'समूहित' खाते भी होते हैं। जहां मध्यवर्तियों द्वारा धारित निधियां बैंक में एक साथ मिश्रित नहीं होती हैं और बैंक में 'उप-खाते' भी हैं, जिनमें से प्रत्येक किसी एक हितार्थी स्वामी का खाता हो, वहां सभी हितार्थी स्वामियों की पहचान करनी होगी। जहां ऐसी निधियों को बैंक में एक साथ मिश्रित किया गया है, वहां भी बैंक को हितार्थी स्वामियों की पहचान करनी चाहिए। जहां बैंक, किसी मध्यवर्ती द्वारा की गयी 'ग्राहक संबंधी उचित सतर्कता' पर निर्भर हैं वहां उन्हें अपने को इस बात से संतुष्ट करना होगा कि मध्यवर्ती नियंत्रित तथा पर्यवेक्षित है और उसने अपने यहां ''अपने ग्राहक को जानिए'' अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर ली है । यह स्पष्ट किया जाता है कि ग्राहक को जानने का अंतिम दायित्व बैंक का है ।
मौजूदा एएमएल/सीएफटी ढांचे में वकील तथा चार्टर्ड एकाउंटंट्स अदि जैसे व्यावसयिक मध्यवर्तियों के लिए अपने ग्राहकों की ओर से खाता रखना संभव नहीं है, क्योंकि वे ग्राहक गोपनीयता से बंधे होते हैं जिसके कारण ग्राहक के ब्योरे प्रकट करना प्रतिबंधित है।अतः इस बात को फिर से दोहराया जाता है कि व्यावसयिक मध्यवर्ति जो किसी बाध्यता से संबंध होने के कारण जिस ग्राहक की ओर से खाता रखा गया है उसकी सही पहचान अथवा खाते के लाभार्थी स्वामी की सही पहचान जानने तथा सत्यपित करने अथवा लेनदेन के सही स्वरूप तथा प्रयोजन को समझने की बैंक की क्षमता को प्रतिबंधित करता है, ऐसे किसी भी व्यावसयिक मध्यवर्ती को किसी ग्राहक की ओर से खाता खोलने की अनुमति नहीं दी जानी चहिए।

iv) भारत के बाहर रहने वाले पोलिटिकली एक्सपोज़्ड पर्सन (पी इ पी) के खाते

पोलिटिकली एक्सपोज़्ड पर्सन वे हैं जो विदेश में प्रमुख सार्वजनिक कार्य करते हैं अथवा ऐसे कार्य उन्हें सौंपे गये हैं । उदाहरण के लिए राज्यों अथवा सरकारों के प्रमुख, वरिष्ठ राजनीतिज्ञ, वरिष्ठ सरकारी /न्यायिक/ सेना अधिकारी, राजकीय स्वामित्व वाले निगमों के वरिष्ठ कार्यपालक महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टी कार्यकर्ता इत्यादि बैंक संबंध स्थापित करने का उद्देश्य रखने वाले इस श्रेणी के किसी व्यक्ति /ग्राहक के मामले में पर्याप्त जानकारी प्राप्त करें तथा उस व्यक्ति के संबंध में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध समस्त जानकारी की जांच करें। बैंकों को पोलिटिकली एक्सपोज़्ड पर्सन को ग्राहक के रूप में स्वीकार करने से पहले इस व्यक्ति की पहचान को सत्यापित करना चाहिए और इन निधियों के स्रोत की जानकारी हासिल करनी चाहिए। पोलिटिकली एक्सपोज़्ड पर्सन के लिए खाता खोलने का निर्णय ग्राहक स्वीकरण नीति में स्पष्टतः निर्धारित वरिष्ठ स्तर पर लिया जाए । बैंकों को

चाहिए कि वे ऐसे खातों की निरंतर आधार पर अधिक मॉनीटरिंग करें। इन उपर्युक्त मानदंडों को पोलिटिकली एक्सपोज़्ड पर्सन के परिवार के सदस्यों अथवा नजदीकी रिश्तेदारों के खातों तथा ऐसे खाते जहां कोई पीईपी अंतिम लाभार्थी स्वामी है,के मामले में भी लागू किया जाना चाहिए। विद्यमान खाते का विद्यमान ग्राहक अथवा लाभार्थी स्वामी बाद में पीईपी हो जाए तो बैंकों को उक्त ग्राहक के साथ व्यावसायिक संबंध जारी रखने के लिए वरिष्ठ प्रबंध तंत्र का अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए तथा पीईपी श्रेणी के ग्राहकों पर यथालागू ग्राहक संबंधी समुचित सावधानी उपाय उक्त खाते पर लागू करने चाहिए और खाते की निरंतर आधार पर अधिक निगरानी भी करनी चाहिए ।

v) अप्रत्यक्ष (नॉन फेस टू फेस) ग्राहकों के खाते

टेलीफोन और इलैक्ट्रॉनिक बैंकिंग के प्रचलन से बैंकों द्वारा ग्राहकों के लिए अधिकाधिक खाते खोले जा रहें है जिसके लिए ग्राहकों के बैंक शाखा में आने की आवश्यकता नहीं होती। अप्रत्यक्ष ग्राहकों के मामले में, ग्राहक की सामान्य पहचान क्रियाविधि लागू करने के अलावा निहित उच्चतर जोखिम को कम करने के उद्देश्य से विशिष्ट और पर्याप्त क्रियाविधियों की आवश्यकता है। सभी प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रमाणीकरण पर ज़ोर दिया जाय और यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त दस्तावेजों की माँग की जाए । ऐसे मामलों में, बैंक ग्राहक के दूसरे बैंक खाते के जरिए पहला भुगतान करने की अपेक्षा भी रख सकते है जिसमें 'अपने ग्राहक को जानिए' के समान मानकों का पालन होता है । सीमा पार ग्राहकों के मामले में ग्राहक के दस्तावेजों के साथ मेल मिलाने की अतिरिक्त कठिनाई होती है और ऐसी स्थिति में बैंक के तीसरी पार्टी को प्रमाणीकरण पहचान पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे मामलों में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि तीसरी पार्टी एक विनियमित और पर्यवेक्षित संस्था है और वहां पर 'अपने ग्राहक को जानिए' प्रणाली पर्याप्त रूप में कार्यरत है।

खाते खोलना - वेतनभोघी कर्मचारी

vi) यह बात हमारे ध्यान में लायी गयी है कि वेतनभोगी कर्मचारियों के बैंक खाते खोलते समय कुछ बैंक नियोक्ता द्वारा जारी प्रमाणपत्र /पत्र पर पहचान के प्रमाण के लिए तथा पते के प्रमाण के लिए एक मात्र केवाइसी दस्तावेज के रूप में भरोसा करते हैं । इस प्रकार की प्रथा का दुरूपयोग हो सकता है और यह जोखिम से भरी हुई है । अत: यह स्पष्ट किया जाता हे कि धोखाधड़ी के जोखिम को नियंत्रित रखने के लिए यह आवश्यक है कि बैंक ऐसे प्रमाण पर तभी भरोसा करें जब वे प्रतिष्ठित कार्पोरेट और अन्य संस्थाओं द्वारा जारी किये गये हों तथा बैंकों को इस संबंध में सचेत होना चाहिए कि इस प्रकार के प्रमाण पत्र /पत्र जारी करते के लिए संबंधित नियोक्ता द्वारा निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी कौन है । साथ ही, नियोक्ता के प्रमाण पत्र के अलावा बैंक को कार्पोरेट तथा अन्य संस्थाओं के वेतनभेगी कर्मचारियों के बैंक खाते खोलने के लिए केवाइसी प्रयोजन के लिए धनशोधन निवारण नियमावली मे दिये गये अधिकृत वैध दस्तावजों (अर्थात पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन

कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि)या उपयोगिता बिलों में से कम-से-कम एक की प्रस्तुति पर जोर देना चाहिए ।

छोटी जमाराशि वाले खाते

2.6 (i) यद्यपि उपर्युक्त परिपत्र में पहचान तथा पते के सबूत के संबंध में दस्तावेजों की अपेक्षाओं के बारे में लचीलेपन का प्रावधान किया गया है, तथापि यह हमारे ध्यान में लाया गया है कि बहुत-से व्यक्ति मुख्यतः दोनों शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रहनेवाले निम्न-आय वर्ग के लोग अपनी पहचान तथा पते के संबंध में ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं जो बैंक के लिए संतोषप्रद हों । इससे वे बैंक सेवाएं प्राप्त नहीं कर सकेंगे और परिणामतः वे वित्तीय सुविधाओं से दूर रहेंगे । तदनुसार 'अपने ग्राहक को जानिए' क्रियाविधि में ऐसे व्यक्तियों के लिए भी खाते खोलने का प्रावधान है जो अपने सभी खातों में कुल मिलाकर 50,000/- रुपये से अधिक शेष राशि रखना नहीं चाहते और वर्ष में जिनकी कुल जमा राशि 1 लाख से अधिक होने की संभावना न हो । ऐसे मामले में यदि खाता खोलने के लिए इच्छुक व्यक्ति इस मास्टर परिपत्र के अनुबंध I में उल्लिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने में असमर्थ हो तो बैंक निम्नलिखित शर्तों के अधीन खाता खोल सकते हैं :

ऐसे अन्य खाताधारक से परिचय जिसने 'अपने ग्राहक को जानिए' की पूरी क्रियाविधि के अनुसार अपेक्षित शर्तें पूरी की हैं । परिचय कर्ता का खाता बैंक के पास कम-से-कम छह महीने से हो और उसमें संतोषजनक रूप में लेनदेन किये गये हों । खाता खोलने का प्रस्ताव करनेवाले ग्राहक का छाया चित्र (फोटोग्राफ) तथा उसका पता परिचयकर्ता द्वारा प्रमाणित किया जाना अपेक्षित है ।

अथवा

ग्राहक की पहचान और पते के लिए अन्य कोई साक्ष्य जिससे बैंक को संतुष्टि हो जाए ।

ii) उपर्युक्त प्रक्रिया से खाता खोलते समय, ग्राहक को यह जानकारी मिल जानी चाहिए कि यदि किसी भी समय बैंक में उसके सभी खातों की (कुल मिलाकर) शेष राशि 50,000/- रुपये से अधिक हो जाती है या खाते में कुल जमा 1 लाख या उससे अधिक हो जाती है तो आगे किसी भी प्रकार के लेन-देन करने की अनुमति तब तक नहीं होगी, जब तक कि 'अपने ग्राहक को जानिए' (के. वाई. सी.) प्रक्रियाएं पूरी नहीं कर ली जाती हैं । ग्राहक को असुविधा नहीं हो, इसलिए जब शेष राशि 40,000/- रुपये तक पहुंच जाती है या साल भर में कुल जमा 80,000 /- रुपये तक हो जाती है तब बैंक अपने ग्राहक को सूचित करें कि के. वाई. सी प्रक्रिया लागू करने के लिए उपयुक्त दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है, अन्यथा खाते में और जमा बंद कर दिया जाएगा।

इसके अलावा, बैंकों को सूचित किया गया था कि बाढ़ से प्रभवित व्यक्तियों के खाते खोलते समय केवाईसी मानदंडों को घटा दिया जाए तकि वे सरकार से प्राफ्त अनुदान को जमा करने में समर्थ हे सकें । ये खाते भी उन खातों के समकक्ष माने जाएं जो इस परिपत्र में निहि्त शर्तों के अनुसार खोले

गए हें । तथपि, ऐसे खातों में अधिकतम शेष रशि सरकार से प्राफ्त अनुदान या 50,000 रुपये में से जो भी अधिक हे, रखने की अनुमति दी जाए तथा अनुदान राशि की प्रारंभिक जमा को कुल जमा में न गिना जाए ।

लेनदेनों की निगरानी

2.7.1 ''अपने ग्राहक को जानिए'' संबंधी कारगर क्रियाविधियों का अनिवार्य तत्व है निरंतर निगरानी । बैंक केवल तभी प्रभावी ढंग से अपनी जोखिम का नियंत्रण कर सकते हैं और उसे कम कर सकते हैं जब उनमें ग्राहक की सामान्य और समुचित गतिविधि की समझ हो ताकि इससे गतिविधि के नियमित पैटर्न से बाहर के लेनदेनों का पता लगाने के साधन उनके पास उपलब्ध हो जाएं। तथापि, निगरानी किस सीमा तक होगी वह उस खाते के जोखिम की संवेदनशीलता पर निर्भर होगा। बैंकों को चाहिए कि वे सभी जटिल, असामान्य रूप से बड़े लेनदेनों और सभी ऐसी असामान्य बातें, जिनका कोई सुस्पष्ट आर्थिक अथवा दृश्य वैध प्रयोजन न हो, की ओर विशेष ध्यान दें । बैंक खातों की किसी विशिष्ट श्रेणी के लिए प्रारंभिक सीमाएं निर्धारित करें और इन सीमाओं को लांघने वाले लेनदेनों की ओर विशेष ध्यान दें। बड़ी नकद राशि वाले लेनदेन, जो संबंधित ग्राहक की सामान्य और अपेक्षित गतिविधि के अनुरूप नहीं हैं, की ओर बैंक का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित होना चाहिए। रखी गयी शेष राशि के आकार के अनुरूप न होने वाले बहुत बड़े लेनदेन यह दर्शाते हैं कि उस खाते से बड़ी-बड़ी निधियां निकाली जा रही है। उच्च जोखिम वाले खातों पर सख्त निगरानी रखी जानी चाहिए। प्रत्येक बैंक को ग्राहक की पृष्ठभूमि, जैसे - मूल का देश, निधियों के स्त्रोत, निहित लेनदेनों के प्रकार और जोखिम के अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे खातों के लिए महत्वपूर्ण संकेतक निश्चित करना चाहिए। बैंकों को खातों के जोखिम वर्गीकरण की आवधिक समीक्षा की एक प्रणाली आरंभ करनी चाहिए और इस संबंध में उचित सावधानी के और अधिक उपाय लागू करने की भी आवश्यकता है । ग्राहकों के जोखिम संवर्गीकरण की ऐसी समीक्षा छह महीने में कम से कम एक बार की जानी चाहिए। बैंकों को एक ऐसा उपयुक्त सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन स्थापित करना चाहिए जो ग्राहक के अद्यतन प्रोफाइल तथा जोखिम वर्गीकरण से असंगत लेनदेन होने पर सतर्कता का संक्त दे। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि सतर्कता के संकेत देनेवाला एक सक्षम सॉफ्टवेयर संदिग्ध लेनदेन की प्रभावी पहचान तथा रिपोर्टिंग के लिए आवश्यक है।

2.7.2 नकदी की प्रमुखता वाले कारोबार में उच्चतर जोखिम को देखते हुए बुलियन व्यापारियों (छोटे व्यापारियों सहित) तथा जौहरियों को भी बैंकों द्वारा "उच्च जोखिम " संवर्ग में रखा जाना चाहिए जिनके लिए उच्चतर सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी।

2.7.3 यह सूचित किया जाता है कि बैंको द्वारा संदेहास्पद लेनदेनों की पहचान करते समय "उच्च जोखिम " वाले खातों को ध्यान में रखना चाहिए ।

खाते बंद करना

2.8 जहां ग्राहक द्वारा जानकारी प्रस्तुत न करने तथा /अथवा ग्राहक के असहयोग के कारण बैंक को 'अपने ग्राहक को जानिए' उपाय लागू करना संभव नहीं है, वहां बैंक अपने ग्राहक को ऐसा निर्णय लेने के कारण स्पष्ट करने वाली एक सूचना जारी करने के बाद, खाता बंद करने अथवा उस ग्राहक से बैंकिंग /व्यावसायिक संबंध समाप्त करने पर विचार कर सकता है । ऐसे निर्णय उचित वरिष्ठ स्तर पर लेना आवश्यक है ।.

जोखिम प्रबंधन

2.9 (क) बैंक के निदेशक बोर्ड को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि योग्य क्रियाविधियों को स्थापित करके तथा उनका प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करके, एक प्रभावी 'अपने ग्राहक को जानिए' कार्यक्रम लागू किया जाता है। इसमें उचित प्रबंधन निरीक्षण, प्रणालियां तथा नियंत्रण, कार्यों का पृथक्करण, प्रशिक्षण तथा अन्य संबंधित मामले शामिल होने चाहिए। बैंक की नीतियों तथा क्रियाविधियों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए बैंक के भीतर ही उत्तरदायित्व का स्पष्ट विनियोजन किया जाए। बैंक लेनदेन, खाते अथवा बैंकिंग/व्यापारिक संबंधों में निहित जोखिम को ध्यान में रखते हुए, अपने बोर्ड के साथ परामर्श करके अपने मौजूदा तथा नये ग्राहकों का जोखिम प्रोफाइल तैयार करने की क्रियाविधियां बनाएं तथा धन शोधन निवारण के लिए विभिन्न उपायों को लागू करें।

ख) 'अपने ग्राहक को जानिए' नीतियों तथा क्रियाविधियों के मूल्यांकन तथा उनके अनुपालन को सुनिश्चित करने में बैंक की आंतरिक लेखा-परीक्षा तथा अनुपालन संबंधी गतिविधियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। सामान्य नियमानुसार, अनुपालन कार्य में बैंक की अपनी नीतियों तथा क्रियाविधियों का, जिनमें विधिक तथा विनियामक अपेक्षाएं शामिल हैं, स्वतंत्र मूल्यांकन निहित होना चाहिए। बैंकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी लेखा-परीक्षा व्यवस्था में ऐसे व्यक्ति कार्यरत हैं जो ऐसी नीतियों तथा क्रियाविधियों से भली-भाँति परिचित हैं। समवर्ती /आंतरिक लेखा-परीक्षकों को विशेष रूप से शाखाओं में 'अपने ग्राहक को जानिए' क्रियाविधियों की जांच करनी चाहिए तथा उन्हें लागू किये जाने को सत्यापित करना चाहिए तथा इस संबंध में पायी गयी कमियों पर टिप्पणी देनी चाहिए। संबंधित अनुपालन रिपोर्ट को बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति के समक्ष तिमाही अंतरालों पर प्रस्तुत किया जाए ।

नयी प्रौद्योगिकियों का प्रयोग - क्रेडिट कार्ड /डेबिट कार्ड /स्मार्ट कार्ड /गिफ्ट कार्ड

2.10 बैंकों को नयी अथवा विकासशील प्रौद्योगिकियों जिनमें इंटरनेट बैंकिंग शामिल है, जिसके कारण धन के स्रोत का पता नहीं चलता, इनसे उभरने वाले धन शोधन से संबंधित जोखिमों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो धन शोधन योजनाओं में उनके उपयोग को रोकने

के उपाय करने चाहिए । अधिकांश बैंक विभिन्न प्रकार के इलैक्ट्रॉनिक कार्ड जारी करने के व्यवसाय में लगे हैं । ग्राहक इन कार्डों का माल तथा सेवाएं खरीदने, ए टी एम में से नकद आहरित करने के लिए प्रयोग करते हैं, साथ ही निधियों के इलैक्ट्रॉनिक अंतरण के लिए भी इनका उपयोग हो सकता है । बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अतिरिक्त / पूरक कार्डधारकों के मामले में भी "अपने ग्राहक को जानिए"/ धन शोधन निवारण/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध संबंधी समय-समय पर जारी सभी दिशानिर्देशों का पूरा अनुपालन किया जाता है। इसके अलावा , सामान्यतः एजेंट की सेवाओं के माध्यम से क्रेडिट कार्डों की मार्केटिंग की जाती है। बैंकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्राहकों को कार्ड जारी करने से पूर्व 'अपने ग्राहक को जानिए' क्रियाविधियों को उचित रूप में लागू किया जाता है । यह भी वांछनीय है कि एजेंट पर भी 'अपने ग्राहक को जानिए' उपाय लागू किये जाते हैं ।

आंतकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध

2.11 (क) धनशोधन निवारण अधिनियम के नियमों के अनुसार संदेहास्पद लेनदेन में अन्य लेनदेन के साथ-साथ वे लेनदेन होने चाहिए जो इस बात का संदेह करने के लिए उचित आधार देते हैं कि ये आतंकवाद से संबंधित कार्यों के वित्तपोषण से संबंधित हैं। अतः बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे उचित नीतिगत ढांचे के माध्यम से आंतकवादी संबंध होने की आशंका वाले खातों की अधिक निगरानी के लिए तथा ऐसे लेनदेन को तुरंत पहचानकर प्राथमिकता के आधार पर वित्तीय आसूचना यूनिट-भारत (एफआइयू -आइएनडी) को रिपोर्ट करने के लिए समुचित प्रणाली विकसित करें।

ख) सयुंक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विभिन्न संकल्पों (यूएनएससीआर) के अनुसरण में स्थापित सुरक्षा परिषद समिति द्वारा अनुमोदित व्यक्तियों तथा संस्थाओं की सूची भारत सरकार से प्राप्त होने पर रिज़र्व बैंक उसे सभी बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं में परिचालित करता है। बैंकों /वित्तीय संस्थाओं को रिज़र्व बैंक द्वारा परिचाालित सूची के अनुसार व्यक्तियों तथा संस्थाओं की समेकित सूची को अद्यतन करना चाहिए। इसके अलावा ऐसे व्यक्तियों/संस्थाओं की अद्यतन सूची संयुक्त राष्ट्र की वेबसाईट http://www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml पर मिल सकती है। बैंकों को सूचित किया जाता है कि कोई भी नया खाता खोलने से पहले वे सुनिश्चित करें कि प्रस्तावित ग्राहक का नाम/के नाम सूची में शामिल नहीं हैं। इसके साथ ही, बैंकों को सभी मौजूदा खातों की जांच करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो कि कोई भी खाता सूची में शामिल व्यक्तियों अथवा संस्थाओं का नहीं है अथवा उनसे संबंधित नहीं है। सूची में शामिल किसी भी व्यक्ति

/संस्था से किसी भी प्रकार की समानता होने वाले खातों के संपूर्ण ब्यौरे भारतीय रिज़र्व बैंक तथा एफआइयू-आइएनडी को तत्काल सूचित किए जाने चाहिए।

ग) विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1967 (यूएपीए) को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन अधिनियम, 2008 द्वारा संशोधित किया गया है। सरकार ने 27 अगस्त 2009 को एक आदेश जारी किया है जिसमें आतंकवादी गतिविधियों के निवारण तथा उनका प्रतिरोध करने के लिए विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 51क को लागू करने की प्रक्रिया के ब्यौरे दिये गये हैं। धारा 51क के अनुसार उपर्युक्त आदेश की अनुसूची में सूचीबद्ध व्यक्तियों या संस्थाओं अथवा आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न अथवा संदिग्ध रूप से संलग्न किसी अन्य व्यक्ति की ओर से या उनके कहने पर रखी गयी निधियों और अन्य वित्तीय आस्तियों पर रोक लगाने, जब्ती या कुर्की करने के लिए तथा आदेश की अनुसूची में सूचीबद्ध व्यक्तियों या संस्थाओं अथवा आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न या संदिग्ध रूप से संलग्न किसी अन्य व्यक्ति के लाभ के लिए कोई निधि, वित्तीय आस्ति या आर्थिक संसाधन या उससे जुड़ी सेवाएँ उपलब्ध कराने से किसी व्यक्ति या संस्था को प्रतिबंधित करने के लिए केन्द्र सरकार को शक्ति प्रदान की गयी है।

बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे 27 अगस्त 2009 के यूएपीए आदेश (प्रतिलिपि संलग्न) में निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करें तथा सरकार के आदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।

बैंकों को सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक से ऐसे व्यक्तियों और संस्थाओं की सूची (जिसे निर्दिष्ट सूची कहा गया है), जिन पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध लागू हैं, प्राप्त होने पर उन्हें यूएनएससीआर की सूची में शामिल निर्दिष्ट व्यक्तियों/संस्थाओं की वित्तीय आस्तियों पर, खासकर बैंक खातों के रूप में रखी गयी निधियों, वित्तीय सेवाओं या आर्थिक संसाधनों या आर्थिक सेवाओं पर रोक लगाने/रोक हटाने के संबंध में यूएपीए की धारा 51क के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का अविलंब प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए।

उक्त आदेश के पैरा 4 के अनुसार बैंक खातों के रूप में रखी गयी निधियों, वित्तीय आस्तियों अथवा आर्थिक संसाधनों अथवा संबंधित सेवाओं के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक बैंकों को निर्दिष्ट सूचियाँ भेजेगा और उनसे अपेक्षा की जाएगी कि वे -

(i) अद्यतन निर्दिष्ट सूचियाँ इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखें तथा निश्चित मानदंडों के आधार पर नियमित रूप से इसकी जाँच करें कि क्या आदेश की अनुसूची में सूचीबद्ध व्यक्ति अथवा संस्थाएँ (जिन्हें निर्दिष्ट व्यक्ति/संस्थाएँ कहा गया है) उनके पास बैंक खातों के रूप में कोई निधि, वित्तीय आस्तियां या आर्थिक संसाधन या उससे जुड़ी सेवाएं रख रही हैं ।

(ii) यदि किसी ग्राहक के ब्यौरे निर्दिष्ट व्यक्तियों/संस्थाओं के ब्यौरे से मिलते हों, तो बैंकों को चाहिए कि वे ऐसे ग्राहक का पता चलने के तुरंत बाद 24 घंटे के भीतर संयुक्त सचिव (आंतरिक सुरक्षा-I), गृह मंत्रालय को अपनी बहियों में ऐसे ग्राहक द्वारा रखे गये बैंक खाते के रूप में रखी गयी निधियों, वित्तीय आस्तियों या आर्थिक संसाधनों या आर्थिक सेवाओं के पूरे ब्यौरे फैक्स सं. 011-23092569 पर भेज दें । साथ ही, इसकी जानकारी टेलीफोन सं. 011-23092736 पर भी दें । ब्यौरे डाक से भेजने के अलावा अनिवार्य रूप से ई-मेल : isis@nic.in. पर भेजे जाएं ।

(iii) बैंक ऊपर (ii) में उल्लिखित सूचना की एक प्रतिलिपि भारतीय रिज़र्व बैंक के यूएपीए नोडल अधिकारी , मुख्य महाप्रबंधक, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, धन शोधन निवारण प्रभाग, विश्व व्यापार केन्द्र, सेंटर-1, 4थी मंजिल, कफ परेड, कोलाबा, मुम्बई-400005 को डाक से और फैक्स सं. 022-22185792 पर भेजेंगे। ब्यौरे डाक/फैक्स से भेजने के अलावा अनिवार्य रूप से ई-मेल : cgmaml@rbi.org.in पर भेजे जाएं ।

(iv) बैंक ऊपर (ii) में उल्लिखित सूचना की एक प्रतिलिपि वित्तीय आसूचना एकक-भारत तथा उस राज्य/संघ शासित क्षेत्र के यूएपीए नोडल अधिकारी को भी भजेंगे, जहां खाता रखा गया है ।

(v) यदि निर्दिष्ट व्यक्तियों/संस्थाओं के ब्यौरे से ग्राहक के ब्यौरे पूरी तरह मिलते हों और उसमें संदेह की कोई गुंजाइश न हो तो बैंक निर्दिष्ट व्यक्तियों को वित्तीय लेनदेन नहीं करने देंगे तथा इसकी सूचना संयुक्त सचिव (आंतरिक सुरक्षा -I), गृह मंत्रालय को फैक्स सं. 011-23092569 पर तथा टेलीफोन सं. 011-23092736 पर देंगे । ब्यौरे डाक से भेजने के अलावा अनिवार्य रूप से ई-मेल : isis@nic.in. पर भेजे जाएं ।

(vi) बैंक उपर्युक्त पैराग्राफ (ii) के अंतर्गत शामिल खातों में किए गए अथवा करने का प्रयास किए गए सभी लेनदेनों की संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) भी निर्धारित प्रारूप में वित्तीय आसूचना एकक-भारत को प्रस्तुत करेंगे।

(घ) वित्तीय आस्तियों पर रोक लगाना

i) उपर्युक्त पैराग्राफ 6(ii) में उल्लिखित विवरण प्राप्त होने के बाद गृह मंत्रालय का आंतरिक सुरक्षा -I प्रभाग राज्य पुलिस तथा/अथवा केंद्रीय एजेंसियों द्वारा सत्यापन करवाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंकों द्वारा पहचान किए गए व्यक्ति/ संस्थाएं वही हैं जो निर्दिष्ट व्यक्तियों/संस्थाओं के रूप में सूचीबद्ध हैं और बैंकों ने जिन निधियों, वित्तीय आस्तियों अथवा आर्थिक संसाधनों अथवा संबंधित सेवाओं के बारे में जानकारी दी है वे इन्हीं निर्दिष्ट व्यक्तियों /संस्थाओं द्वारा धारित की गई हैं। यह सत्यापन ऐसे विवरण प्राप्त होने की तारीख से 5 कार्य दिवसों के भीतर पूरा किया जाएगा।

ii) यदि सत्यापन से यह पता चलता है कि सम्पत्ति पर निर्दिष्ट व्यक्तियों/ संस्थाओं का स्वामित्व है या उनके लाभ के लिए रखी गयी है तो ऐसे सत्यापन के 24 घंटे के भीतर यूएपीए की धारा 51क के अंतर्गत इन आस्तियों पर रोक लगाने का आदेश जारी किया जाएगा और भारतीय रिज़र्व बैंक और एफआइयू- आइएनडी को अवगत कराते हुए बैंक की संबंधित शाखा को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचना भेजी जाएगी।

iii) निर्दिष्ट व्यक्तियों/संस्थाओं को पूर्व सूचना दिये बिना आदेश जारी होगा।

(च) वर्ष 2001 के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 1373 के अंतर्गत विदेशों से प्राप्त अनुरोधों का कार्यान्वयन

i) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 1373 के अनुसार देशों के लिए यह बाध्यकारी है कि वे आतंकवादी कृत्य करनेवाले, करने का प्रयास करनेवाले अथवा आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने में शामिल या सहायता पहुंचाने वाले व्यक्तियों; ऐसे व्यक्तियों द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संचालित संस्थाओं; तथा ऐसे व्यक्तियों तथा संस्थाओं की ओर से या उनके इशारे पर काम करनेवाले व्यक्तियों तथा संस्थाओं की निधियों अथवा अन्य आस्तियों पर रोक लगाएं । इनमें ऐसे व्यक्तियों तथा उनसे जुड़े व्यक्तियों तथा संस्थाओं द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वाधिकृत या नियंत्रित संपत्ति से उपार्जित अथवा सृजित निधियां एवं अन्य आस्तियां भी शामिल हैं ।

ii) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 1373 के अंतर्गत विदेशों से प्राप्त अनुरोधों पर कार्रवाई करने के लिए विदेश मंत्रालय विदेशों द्वारा किए गए अनुरोधों की जांच-पड़ताल करेगा और अपनी टिप्पणी के साथ निधियों अथवा अन्य आस्तियों पर रोक लगाने के लिए उन्हें आंतरिक सुरक्षा - I प्रभाग के यूएपीए नोडल अधिकारी को इलेट्रॉनिक रूप से भेजेगा ।

iii) गृह मंत्रालय के आंतरिक सुरक्षा - I प्रभाग के यूएपीए नोडल अधिकारी पांच कार्य दिवसों के भीतर अनुरोध की जांच करवाएगा ताकि वह संतुष्ट हो सके कि प्रयोज्य कानूनी सिद्धांतों के आधार पर अनुरोध में यह संदेह करने अथवा विश्वास करने के औचित्यपूर्ण कारण अथवा औचित्यपूर्ण आधार हैं कि प्रस्तावित निर्दिष्ट व्यक्ति/संस्था आतंकवादी है, जो आतंकवाद अथवा किसी आतंकवादी संगठन का वित्तपोषण करता है तथा स्वयं संतुष्ट हो जाने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक के नोडल अधिकारियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऐसे अनुरोध को अग्रेषित करेगा । प्रस्तावित निर्दिष्ट व्यक्ति/संस्था को, जैसा कि ऊपर वर्णित है, निर्दिष्ट व्यक्ति/संस्था माना जाएगा ।

iv) आंतरिक सुरक्षा - I प्रभाग के यूएपीए नोडल अधिकारी से अनुरोध प्राप्त होने के बाद बैकों को सूची भेजी जाएगी तथा पैराग्राफ 5, 6 , तथा 7 के अंतर्गत वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा ।

v) रोक लगाने के आदेश संबंधित निर्दिष्ट व्यक्तियों को पूर्व सूचना दिये बिना जारी होंगे।

(छ) सत्यापन के बाद यह पता चलने पर कि संबंधित व्यक्ति अथवा संस्था निर्दिष्ट व्यक्ति अथवा संस्था नहीं है, निधियों पर रोक लगाने से गलती से प्रभावित हुए व्यक्तियों/संस्थाओं की निधियों, वित्तीय आस्तियों अथवा आर्थिक संसाधनों अथवा संबंधित सेवाओं पर से रोक हटाने की प्रक्रिया ।

ऐसा कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था जिसके पास इस बात का साक्ष्य हो कि उसके द्वारा धारित/ स्वाधिकृत निधियों, वित्तीय आस्तियों अथवा आर्थिक संसाधनों अथवा संबंधित सेवाओं पर गलती से रोक लगाई गई है, संबंधित बैंक को अपेक्षित साक्ष्य लिखित रूप में देते हुए एक आवेदन प्रस्तुत करेगा। बैंक किसी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन की सूचना और उसकी एक प्रति रोकी गई आस्ति के पूरे ब्यौरे सहित उपर्युक्त पैराग्राफ 6(ii) में दिए गए संपर्क सूत्र के अनुसार गृह मंत्रालय के आंतरिक सुरक्षा -I प्रभाग के नोडल अधिकारी को दो कार्य दिवस के भीतर ही अग्रेषित करेंगे जिसके अंतर्गत संबंधित व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा यह सूचना दी गई हो कि उसकी निधियों, वित्तीय आस्तियों अथवा वित्तीय संसाधनों अथवा संबंधित सेवाओं पर गलती से रोक लगाई गई है । संयुक्त सचिव (आंतरिक सुरक्षा - I), गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय के (आंतरिक सुरक्षा-I)प्रभाग का नोडल अधिकारी होने के नाते व्यक्ति/संस्था द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर यदि ज़रूरी हुआ तो इस प्रकार का सत्यापन करवाएगा और संतुष्ट होने पर 15 कार्य दिवसों के भीतर ऐसे आवेदक द्वारा स्वाधिकृत/धारित निधियों, वित्तीय आस्तियों अथवा आर्थिक संसाधनों अथवा संबंधित सेवाओं पर से रोक हटाने के आदेश जारी करेगा और उसकी सूचना संबंधित बैंक को देगा । तथापि, यदि 15 कार्य दिवसों के भीतर आस्तियों पर से रोक हटाने के लिए किसी कारणवश आदेश जारी करना संभव न हो तो उसकी सूचना आंतरिक सुरक्षा-I का नोडल अधिकारी आवेदक को देगा ।

(ज) विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1967 की धारा 51क के अंतर्गत आदेशों की सूचना

विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 51क के अंतर्गत निधियों, वित्तीय आस्तियों अथवा आर्थिक संसाधनों अथवा संबंधित सेवाओं से संबंधित सभी आदेश भारतीय रिज़र्व बैंक के माध्यम से सभी बैंकों को भेजे जाएंगे । बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे यूएपीए के उपबंधों की जानकारी संबंधित स्टाफ के ध्यान में लाएं और उनका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें ।

(झ) कतिपय राष्ट्रों में एएमएल / सीएफटी व्यवस्था में कमियां

बैंकों को यह भी सूचित किया जाता है कि वे कतिपय क्षेत्रों में "अपने ग्राहक को जानिए"/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध संबंधी मानदंडों में कमी के कारण होनेवाले जोखिम को ध्यान में रखें जैसा कि समय समय पर जारी एफएटीएफ विवरण में विनिर्दिष्ट है।

संपर्ककर्ता बैंकिंग (कॉरेस्पोंडेंट बैंकिंग)

2.12 (क) संपर्ककर्ता बैंकिंग में एक बैंक (संपर्ककर्ता बैंक) से दूसरे बैंक (रिस्पॉन्डेंट बैंक) में बैंकिंग सेवा का प्रावधान रहता है । इन सेवाओं में नकद /निधियो का प्रबंधन, अंतर्राष्ट्रीय तार अंतरण, मांग ड्राफ्ट आहरण और डाक अंतरण व्यवस्था, खातो के जरिए देय व्यवस्था, चेक समाशोधन आदि का समावेश रहता है। संपर्ककर्ता बैंक /रिस्पॉन्डेंट बैंक के कामकाज का स्वरूप पूर्णतः समझने के लिए बैंकों को पर्याप्त जानकारी प्राप्त करनी चाहिए । दूसरे बैंक का प्रबंधन, प्रमुख कारोबारी गतिविधियाँ, एएमएल /सीएफटी अनुपालन का स्तर, खाता खोलने का उद्देश्य किसी तीसरे व्यक्ति की पहचान जो संपर्ककर्ता बैंकिंग का उपयोग करेगा और संपर्ककर्ता /रिस्पॉन्डेंट के देश में विनियामक /पर्यवेक्षण ढाँचे के संबंध में जानकारी विशेष रूप से संगत हो सकती है। इसी प्रकार, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के जरिए यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या दूसरे बैंक पर धन शोधन या आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन देने के संबंध में किसी प्रकार की जांच या विनियामक कार्रवाई की जा रही है । यह वांछनीय होगा कि ऐसे संबंध केवल बोर्ड के अनुमोदन से ही स्थापित किए जाएं, तथापि यदि किसी बैंक का बोर्ड किसी प्रशासनिक प्राधिकारी को शक्ति प्रत्यायोजित करना चाहें तो वे ऐसे संबंध अनुमोदित करने के लिए स्पष्ट मानदंडों को निर्धारित करते हुए, बैंकों के अध्यक्ष /सीइओं के नेतृत्व वाली समिति को प्रत्यायोजित कर सकते हैं। समिति द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों को अनिवार्यतः बोर्ड के कार्योत्तर अनुमोदन हेतु अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्रत्येक बैंक की जिम्मेदारियों को जिनके साथ संपर्ककर्ता बैंकिंग संबंध स्थापित किये गये है स्पष्ट रूप में प्रलेखित किया जाना चाहिए । खाते के जरिए देय मामलों में संपर्ककर्ता बैंक को सुनिश्चित करना चाहिए कि रिस्पॉन्डेंट बैंक ने उन ग्राहकों की पहचान का सत्यापन कर लिया है जिनकी खातों में सीधी पहुँच है और उनके संबंध में निरंतर 'उचित सावधानी' बरती जा रही है । संपर्ककर्ता बैंक को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि रिस्पॉन्डेंट बैंक ग्राहक पहचान संबंधी जानकारी अनुरोध करने पर तुरंत देने में सक्षम हैं ।

ख) शेल बैंक के साथ संपर्ककर्ता संबंध

किसी ''शेल बैंक'' (अर्थात् ऐसा बैंक जो किसी देश में निगमित है जहां उसका अपना अस्तित्व नहीं है और वह किसी विनियमित वित्तीय समूह से संबंधित नहीं है) के साथ संपर्ककर्ता संबंध स्थापित करने से बैंक को इन्कार करना चाहिए । शेल बैंकों को भारत में कार्य करने की अनुमति नहीं है । बैंकों को उन रिस्पॉन्डेंट विदेशी वित्तीय संस्थाओं के साथ संबंध स्थापित करने से पहले सतर्क रहना

चाहिए जो उनके खातों का उपयोग करने की अनुमति शेल बैंकों को देते हैं। विदेशि वित्तीय संस्थाओं से संपर्ककर्ता संबंध स्थापित करने से पहले बैंकों को इस बात की संतुष्टि कर लेनी च्चाहिए कि विदेशी रिस्पॉन्डेंट संस्था शेल बैंकों को अपने खातों का उपयोग करने की अनुमति नहीं देते हैं। बैंकों उन रिस्पॉन्डेंट बैंकों के साथ संबंध बनाए रखने में अत्यंत सतर्कता बरतनी चाहिए जो ऐसे देशों में स्थित हैं जहां 'अपने ग्राहक को जानिए' मानक कमजोर हैं और ऐसे देश जिन्हें धन शोधन और आंतकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण के विरुद्ध संघर्ष में 'असहयोगी' के रूप में जाना गया है। बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके रिस्पॉन्डेंट बैंकों के पास धन शोधन निवारण नीति और क्रियाविधि है और वे संपर्ककर्ता खातों के जरिए किए गए लेनेदेनों के संबंध में निरंतर 'उचित सावधानी' क्रियाविधि लागू करते है ।

वायर अंतरण

2.13 बैंक खातों के बीच निधियों के शीघ्र अंतरण की प्रणाली के रूप में बैंक वायर अंतरणों (वायर ट्रांस्फर) का उपयोग करते हैं । वायर अंतरण में एक देश की राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर होनेवाले अथवा एक देश से दूसरे देश को किये जानेवाले लेनदेन शामिल हैं । चूंकि वायर अंतरणों में मुद्रा की वास्तविक आवाजाही शामिल नहीं है, अतः वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूल्य अंतरण के लिए त्वरित और सुरक्षित प्रणाली समझे जाते हैं ।

i) वायर अंतरण लेनदेन की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं ः

क) वायर अंतरण एक ऐसा लेनदेन है जिसके द्वारा प्रवर्तक व्यक्ति (नैसर्गिक और कानूनी दोनों) की ओर से बैंक के ज़रिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से धन राशि किसी बैंक के किसी लाभार्थी को उपलब्ध करायी जाती है । प्रवर्तक और लाभार्थी एक ही व्यक्ति हो सकता है ।

ख) सीमा पार अंतरण का अर्थ है ऐसा वायर अंतरण जहां प्रवर्तक और लाभार्थी बैंक या वित्तीय संस्था भिन्न देशों में स्थित है । इसमें वायर अंतरणों की ऐसी श्रृंखला शामिल हो सकती है जिसमें कम-से-कम एक सीमा पार अंतरण किया गया हो ।

ग) देशी वायर अंतरण का अर्थ है ऐसा वायर अंतरण जहां प्रवर्तक और प्राप्तकर्ता एक ही देश में स्थित हैं। इसमें वायर अंतरणों की ऐसी श्रृंखला भी शामिल हो सकती है जो पूरी तरह एक ही देश की सीमाओं के भीतर होते हों भले ही वायर अंतरण करने के लिए प्रयुक्त प्रणाली किसी दूसरे देश में स्थित हो ।

घ) प्रवर्तक खाता धारक या जहां कोई खाता नहीं है वहां ऐसा व्यक्ति (नैसर्गिक और कानूनी) होता है जो बैंक को वायर अंतरण करने का आदेश देता है ।

ii) वायर अंतरण दुनिया भर में निधियों के अंतरण के लिए तात्कालिक और पसंद किया जानेवाला माध्यम है और इसलिए इस बात की ज़रूरत है कि आतंकवादियों और अन्य अपराधियों की अपनी निधियों को लाने-ले जाने के लिए वायर अंतरणों तक मुक्त पहुंच को रोका जाए तथा जब भी इसका दुरुपयोग होता है तो उसका पता लगाया जाए । ऐसा तभी किया जा सकता है यदि वायर अंतरणों के प्रवर्तक के संबंध में बुनियादी जानकारी उपयुक्त कानून प्रवर्तन तथा/या अभियोजनकर्ता प्राधिकारियों को तुरंत उपलब्ध करायी जाए ताकि आतंकवादियों या अन्य अपराधियों का पता लगाने, जांच-पड़ताल करने, मुकदमा चलाने में उन्हें सहायता दी जा सके और उनकी परिसंपत्तियों का पता लगाया जा सके । उक्त सूचना का उपयोग फाइनेंशल इंटेलिजेंस यूनिट - इंडिया (एफआइयू-आइएनडी) द्वारा संदिग्ध या असामान्य गतिविधि का विश्लेषण करने और आवश्यकता होने पर उसे प्रचारित करने के लिए किया जा सकता है । लाभार्थी बैंक द्वारा प्रवर्तक संबंधी सूचना का उपयोग संदिग्ध लेनदेनों की पहचान करने तथा उसकी सूचना एफआइयू-आइएनडी को देने के लिए भी किया जा सकता है । छोटे वायर अंतरणों द्वारा संभावित आतंकवादी वित्तपोषण के खतरे को देखते हुए उद्देश्य यह है कि न्यूनतम प्रारंभिक सीमाओं के सभी वायर अंतरणों का पता लगाने की स्थिति में रहा जाए। तदनुसार, हम यह सूचित करते हैं कि बैंक यह सुनिश्चित करें कि सभी वायर अंतरणों के साथ निम्नलिखित सूचना हो :

(क)   सीमा पार वायर अंतरण

i) सभी सीमा पार (क्रॉस बॉर्डर) वायर अंतरणों के साथ सटीक और सार्थक प्रवर्तक संबंधी सूचना हो ।

ii) सीमा पार वायर अंतरणों के साथ दी जानेवाली सूचना में प्रवर्तक का नाम और पता तथा जहां कहीं खाता हो, उस खाते का नंबर दिया जाना चाहिए । खाता न होने की स्थिति में एक विशिष्ट संदर्भ संख्या अवश्य दी जानी चाहिए जो संबंधित देश में प्रचलित हो ।

iii) जहां किसी एकल प्रवर्तक से कई अलग-अलग अंतरण एक बैच फाइल में इकट्ठे कर दूसरे देश में लाभार्थियों को प्रेषित किये जाते हैं, वहां उन्हें पूर्ण प्रवर्तक संबंधी सूचना शामिल करने से छूट दी जा सकती है, बशर्ते उनमें उक्त (ii) के अनुसार प्रवर्तक की खाता संख्या या विशिष्ट संदर्भ संख्या शामिल हो ।

(ख) देशी वायर अंतरण

i) रु 50,000/- (पचास हज़ार रुपये) और उससे अधिक के सभी देशी वायर अंतरणों के साथ दी जानेवाली सूचना में प्रवर्तक संबंधी पूर्ण सूचना अर्थात् नाम, पता और खाता संख्या आदि शामिल की जानी चाहिए, केवल उन स्थितियों को छोड़कर जब लाभार्थी बैंक को अन्य माध्यमों से प्रवर्तक संबंधी पूर्ण सूचना उपलब्ध करायी जा सकती हो ।

ii) यदि किसी बैंक के पास यह मानने का कोई कारण हो कि ग्राहक जानबूझकर सूचना देने या निगरानी से बचने के उद्देश्य से रु 50,000/- (पचास हज़ार रुपये) से कम के विभिन्न लाभार्थियों को वायर अंतरण कर रहा है तो बैंक को उक्त अंतरण करने के पहले ग्राहक की पूरी पहचान पर अवश्य जोर देना चाहिए। ग्राहक द्वारा सहयोग न किये जाने के मामले में उसकी पहचान का पता लगाना चाहिए तथा एफआइयू - आइएनडी को संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) दी जानी चाहिए ।

iii) जब धन के अंतरण के लिए क्रेडिट या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है तब संदेश में उक्त (क) के अनुसार आवश्यक सूचना शामिल की जानी चाहिए ।

(iii) छूट

जहां प्रवर्तक और लाभार्थी दोनों बैंक या वित्तीय संस्थाएं हों वहां अंतर बैंक अंतरणों और निपटानों को उपर्युक्त अपेक्षाओं से छूट होगी ।

(iv) आदेशकर्ता, मध्यवर्ती और लाभार्थी बैंकों की भूमिका

(क) आदेशकर्ता बैंक

आदेशकर्ता बैंक वह है जो अपने ग्राहक द्वारा दिये गये आदेश के अनुसार वायर अंतरण का प्रवर्तन करता है । आदेशकर्ता बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संबंधित वायर अतरणों में प्रवर्तक संबंधी पूर्ण सूचना हो । बैंक को भी सूचना का सत्यापन करना चाहिए तथा उसे कम-से-कम 10 वर्ष की अवधि के लिए परिरक्षित रखना चाहिए ।

(ख) मध्यवर्ती बैंक

सीमा पार तथा देशी वायर अंतरणों दोनों के लिए वायर अंतरणों की श्रृंखला के मध्यवर्ती तत्व की प्रोसेसिंग करनेवाले बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वायर अंतरण के साथ दी गयी समस्त प्रवर्तक सूचना अंतरण के साथ बनाये रखी जाती है । जहां तकनीकी सीमाओं के कारण सीमा पार के वायर अंतरण के साथ दी गयी पूर्ण प्रवर्तक सूचना संबंधित देशी वायर अंतरण के साथ बनायी रखी

नहीं जा सकती, वहां प्रवर्तक बैंक से प्राप्त सभी सूचना का प्राप्तकर्ता मध्यवर्ती बैंक द्वारा कम-से-कम 10 वर्ष (जैसा कि धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अपेक्षित है) के लिए रिकार्ड रखा जाना चाहिए ।

(ग) लाभार्थी बैंक

लाभार्थी बैंक में कारगर जोखिम आधारित क्रियाविधियां होनी चाहिए जिनसे पूर्ण प्रवर्तक सूचना रहित वायर अंतरणों का पता लगाया जा सके । पूर्ण प्रवर्तक सूचना के अभाव को कोई वायर अंतरण या संबंधित लेनदेन संदिग्ध है या नहीं तथा उसकी सूचना फाइनेंशल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया को दी जानी चाहिए या नहीं इसका निर्धारण करने के तत्व के रूप में समझा जाना चाहिए । यदि लेनदेन के साथ निधियों के प्रेषक की विस्तृत सूचना नहीं दी गयी है तो लाभार्थी बैंक को आदेशकर्ता बैंक के साथ भी मामले को उठाना चाहिए । यदि आदेशकर्ता बैंक प्रेषक के संबंध में सूचना नहीं देता तो लाभार्थी बैंक को चाहिए कि वह आदेशकर्ता बैंक के साथ अपने कारोबारी संबंध को सीमित या समाप्त कर देने तक पर विचार करे ।

प्रधान अधिकारी

2.14 (क) बैंक किसी वरिष्ठ प्रबंधन अधिकरी को प्रधान अधिकारी के रूप में पदनामित करने के लिए नियुक्त करें । प्रधान अधिकारी बैंक के मुख्य / कॉर्पोरेट कार्यालय में स्थित होगा तथा उस पर सभी लेन-देनों की निगरानी तथा रिपोर्टिंग तथा कानून के अंतर्गत अपेक्षित जानकारी के अदान-प्रदान का दायित्व होगा। इस अधिकारी को प्रवर्तन एजेंसियों, बैंकों तथा किसी अन्य संस्था, जो कि धन शोधन तथा आतंकवाद के वित्तपोषण के विरूद्ध संघर्ष में शामिल है, के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखना होगा । इस उद्देश्य से कि प्रधान अधिकारी अपनी जिम्मेदारियां निभा सकें यह सूचित किया जाता है कि ग्राहकों की पहचान से संबंधित आंकड़ों तथा अन्य सीडीडी सूचना, लेनदेन रिकार्डों एवं अन्य संबंधित सूचनाओं तक प्रधान अधिकारी तथा अन्य समुचित स्टाफ की समय पर पहुँच होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, बैंकों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रधान अधिकारी अपना कार्य स्वतंत्रतापूर्वक कर सके और सीधे वरिष्ठ प्रबंध तंत्र या निदेशक मंडल को रिपोर्ट करे।

(ख) एफआइयू - आइएनडी को समय पर सीटीआर एसटीआर रिपोर्टें तथा जाली नोटों की सूचना प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व प्रधान अधिकारी का होगा ।

(ग) प्रधान अधिकारी कों अपने ग्राहक को जानिए /धनशोधन निवारण / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध पर समय-समय पर जारी विनियामक दिशानिर्देशों तथा धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए तथा समय-समय पर संशोधित नियमों तथा विनियमों के अंतर्गत दायित्वों का पर्यवेक्षण तथा उनका समग्र अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए ।

लेनदेनों के रिकार्डों का रखरखाव/ परिरक्षण की जानेवाली सूचना/रिकार्डों का परिरक्षण और रखरखाव/वित्तीय आसूचना इकाई - भारत को नकदी और संदिग्ध लेनदेनों की रिपोर्टिंग

2.15 भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग ने भारत के राजपत्र में 1 जुलाई 2005 की अधिसूचना द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत नियमावली को अधिसूचित किया है। इन नियमों के अनुसार धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 के उपबंध 1 जुलाई 2005 से प्रभावी हो गये। धनशोधन निवारण अधिनियम की धारा 12 के अनुसार बैंकिंग कंपनियों पर ग्राहकों के खातों की सूचना के परिरक्षण और रिपोर्टिंग के संबंध में कुछ दायित्व रखे गये हैं। अतः बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 और उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के उपबंध पढ़ें तथा उक्त अधिनियम की धारा 12 की अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे जानेवाले सभी कदम उठाएँ ।

(i) लेनदेनों के रिकार्डों का रखरखाव

बैंकों को चाहिए कि वे नियम 3 के अंतर्गत निर्धारित लेनदेनों का उचित रिकार्ड रखने की प्रणाली शुरू करें जैसा कि नीचे बताया गया है :

क) विदेशी मुद्रा में दस लाख रुपये से अधिक मूल्य वाले अथवा उसके समकक्ष मूल्य के सभी नकद लेनदेन;

ख) समग्र रूप में एक दूसरे से संबद्ध नकद लेनदेनों की सभी शृंखलाएँ जिनका मूल्यांकन विदेशी मुद्रा में दस लाख रुपये से कम अथवा उसके समकक्ष किया गया है जहाँ ऐसे लेनदेन एक महीने के भीतर घटित हुए हैं और ऐसे लेनदेनों का कुल मूल्य दस लाख रुपये से अधिक हो जाता है;

ग) ऐसे सभी नकद लेनदेन जहाँ नकली और जाली करेंसी नोटों या बैंक नोटों का प्रयोग असली नोटों के रूप में किया गया है तथा जहाँ किसी मूल्यवान प्रतिभूति की जालसाजी की गई है;

घ) सभी संदिग्ध लेनदेन चाहे नकदी में किये गये हैं या नहीं तथा उक्त नियमों के अंतर्गत उल्लिखित रूप में किये गये हैं ।

ऊपर (ख)में उल्लिखित आपस में जुड़े नकद लेनदेन का उदाहरण

अप्रैल 2008 माह के दौरान किसी शाखा में निम्नलिखित लेनदेन हुए हैं :

तारीख	माध्यम	नामे (रुपये में)	जमा (रुपये में)	आगे लाया गया शेष (रुपये में) **8,00,000.00**
02/04/2008	नकद	5,00,000.00	3,00,000.00	6,00,000.00
07/04/2008	नकद	40,000.00	2,00,000.00	7,60,000.00
08/04/2008	नकद	4,70,000.00	1,00,000.00	3,90,000.00
मासिक संकलन		**10,10,000.00**	**6,00,000.00**	

उपर्युक्त स्पष्टीकरण के अनुसार उपर्युक्त उदाहरण में जो नामे लेनदेन हैं वे आपस में जुड़े नकद लेनदेन हैं क्योंकि कैलेंडर माह के दौरान कुल नकद नामे लेनदेन 10 लाख रुपये से अधिक हैं। तथापि, बैंक को केवल 02/04 तथा 08/04/2008 को हुए लेनदेन को रिपोर्ट करना चाहिए। 07/04/2008 के नामे लेनदेन को बैंक अलग से रिपोर्ट नहीं करे क्योंकि वह 50,000/- रुपये से कम है। उपर्युक्त उदाहरण में दिए गए सभी जमा लेनदेनों को आपस में जुड़ा नहीं समझा जाएगा, क्योंकि माह के दौरान जमा लेनदेन का कुल योग दस लाख रुपये से अधिक नहीं है। अतः, 02, 07 तथा 08/04/2008 के जमा लेनदेन बैंकों द्वारा रिपोर्ट नहीं किए जाने चाहिए ।

(ii) परिरक्षण की जानेवाली सूचना

बैंकों से अपेक्षित है कि वे नियम 3 में उल्लिखित लेनदेनों के संबंध में निम्नलिखित सूचना का परिरक्षण करें :

(क) लेनदेनों का स्वरूप;

(ख) लेनदेन की राशि और वह मुद्रा जिसमें उसका मूल्यवर्गीकरण किया गया;

(ग) वह तारीख जब वह लेनदेन संचालित किया गया; तथा

(घ) लेनदेन के पक्षकार ।

iii) रिकार्डों का परिरक्षण और रखरखाव

क) बैंक, लेखों संबंधी सूचना के उचित रखरखाव और परिरक्षण की ऐसी प्रणाली विकसित करें ताकि इससे आवश्यकता पड़ने पर या जब भी सक्षम प्राधिकारियों द्वारा इनके लिए अनुरोध किया जाए तब आसानी से और तुरंत आँकड़े पुनः प्राप्त हो सकें। इसके अलावा बैंक, ग्राहक और बैंक के

बीच लेनदेन के बंद होने की तारीख से कम से कम दस वर्षों तक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के लेनदेनों के सभी आवश्यक रिकार्डों का अनुरक्षण करें, जिससे अलग-अलग लेनदेनों के पुनर्निर्माण (शामिल राशि तथा यदि कोई विदेशी मुद्रा हो तो उसके प्रकार सहित) में मदद मिलेगी ताकि यदि जरूरत पड़े तो आपराधिक गतिविधियों के अभियोजन के लिए साक्ष्य प्रदान किया जा सके।

ख) बैंक यह सुनिश्चित करें कि ग्राहक द्वारा खाता खोलते समय तथा कारोबारी संबंध बने रहने के दौरान उसकी पहचान और पते के संबंध में प्राप्त अभिलेख (जैसे पासपोर्टों, पहचान पत्रों, ड्राइविंग लाइसेंसों, पैन, उपभोक्ता बिलों जैसे दस्तावेजों आदि की प्रतिलिपियाँ) कारोबारी संबंध के समाप्त हो जाने के बाद कम से कम दस वर्ष तक उचित रूप में सुरक्षित रखे जाएँ। सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अनुरोध किए जाने पर पहचान के रिकार्ड और लेनदेन के आँकड़े उन्हें उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

ग) इस मास्टर परिपत्र के पैराग्राफ 2.7 में बैंकों को सूचित किया गया है कि वे सभी जटिल, असामान्य रूप से बड़े लेनदेन और लेनदेन के ऐसे असामान्य स्वरूप की ओर विशेष ध्यान दें जिनका कोई सुस्पष्ट आर्थिक अथवा विधि सम्मत प्रयोजन न हो। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जहां तक संभव हो ऐसे लेनदेन से संबंधित सभी दस्तावेज / कार्यालयीन अभिलेख / ज्ञापन सहित उसकी पृष्ठभूमि तथा उसके प्रयोजन की जांच की जाए तथा शाखा तथा प्रधान अधिकारी दोनों स्तर पर प्राप्त निष्कर्षों को उचित रूप से रिकार्ड किया जाए। लेनदेन की संवीक्षा से संबंधित दिन-प्रति-दिन का कार्य करने में लेखा परीक्षकों की सहायता के लिए तथा रिज़र्व बैंक/अन्य संबंधित प्राधिकारियों को भी ऐसे रिकार्ड तथा संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराये जाएँ। धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की अपेक्षा के अनुसार इन अभिलेखों को दस वर्ष की अवधि के लिए परिरक्षित किया जाना है।

(iv) वित्तीय आसूचना इकाई - भारत को रिपोर्टिंग :

क) यह सूचित किया जाता है कि पीएमएलए नियमों के अनुसार बैंकों से अपेक्षित है कि वे नकदी और संदेहास्पद लेनदेनों की सूचना निम्नांकित पते पर निदेशक, वित्तीय आसूचना इकाई -भारत (एफआइयू - आइएनडी) को दें :

निदेशक, एफआइयू - आइएनडी,
फाइनैंशियल इंटेलिजेंस यूनिट - इंडिया,
6ठी मंजिल, होटल सम्राट,
चाणक्यपुरी,
नई दिल्ली - 110 021
वेबसाइट- http://fiuindia.gov.in/

ख) बैंक, सभी रिपोर्टिंग फार्मेटों को ध्यान से पढ़ें। कुल मिलाकर आठ रिपोर्टिंग फार्मेट हैं जिनके ब्योरे अनुबंध 2 में दिये गये हैं,अर्थात् i) नकद लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर); ii) सीटीआर का सारांश ; iii) सीटीआर - इलैक्ट्रॉनिक फाइल संरचना ; iv) संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर); v) एसटीआर - इलैक्ट्रॉनिक फाइल संरचना ; vi) नकली मुद्रा रिपोर्ट (सीसीआर) ; vii) सीसीआर का सारांश और viii) सीसीआर - इलैक्ट्रॉनिक फाइल संरचना जो इस मास्टर परिपत्र के साथ संलग्न हैं। रिपोर्ट करने के प्रपत्रों में रिपोर्टों के संकलन तथा एफआइयू आइएनडी को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के तरीके /प्रक्रिया के विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए हैं। बैंकों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे नकदी लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर) की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग सुनिश्चित करने के लिए तुरंत कदम उठाने के संबंध में यथाशीघ्र पहल करें । इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में रिपोर्टें तैयार करने के लिए संबंधित हार्डवेयर और तकनीकी आवश्यकता, संबंधित डाटा फाइलें तथा उनकी डाटा संरचना संबंधित फार्मेटों के अनुदेश वाले भाग में दी गई हैं।

ग) एफआइयू-आइएनडी ने अपनी वेबसाइट पर एडिटेबल इलैक्ट्रॉनिक यूटिलिटिज डाली है ताकि ऐसे बैंक नकद लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर) तथा संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) को इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल कर सकें जो अपने लेनदेन के सामान्य आँकड़ों से सीटीआर / एसटीआर बनाने के लिऐ उपयुक्त प्रौद्योगिकी साधन स्थापित नषि कर पाये हैं। अतः यह सूचित किया जाता है कि उन बैंकों के मामले में जहां सभी शाखाएं अभी तक पूर्णतः कंप्यूटरीकृत नहीं हुई हैं, बैंक के प्रधान अधिकारी को चाहिए कि वे कंप्यूटरीकृत नहीं हुई शाखाओं से लेनदेन के ब्यौरों को छांटकर, उन्हें एफआइयू-आइएनडी द्वारा अपनी वेबसाइट http://fiuindia.gov.in पर उपलब्ध कराई गयी सीटीआर/एसटीआर की एडिटेबल इलैक्ट्रॉनिक यूटिलिटिज की सहायता से एक इलैक्ट्रॉनिक फाइल में डालने की उपयुक्त व्यवस्था करें।

घ) इस मास्टर परिपत्र के पैराग्राफ 2.3 में निहित अनुदेशों के अनुसार बैंकों को जोखिम वर्गीकरण के आधार पर प्रत्येक ग्राहक का एक प्रोफाइल तैयार करना चाहिए। इसके अतिरिक्त पैराग्राफ 2.7 के अनुसार जोखिम वर्गीकरण की आवधिक समीक्षा करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। अतः, इस बात को दोहराया जाता है कि लेनदेन निगरानी व्यवस्था के एक भाग के रूप में बैंकों को एक ऐसा उपयुक्त सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन स्थापित करना चाहिए जो ग्राहक के अद्यतन प्रोफाइल तथा जोखिम वर्गीकरण से असंगत लेनदेन होने पर सतर्कता का संकेत दे। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि सतर्कता के संकेत देनेवाला एक सक्षम सॉफ्टवेयर संदिग्ध लेनदेन की प्रभावी पहचान तथा रिपोर्टिंग के लिए आवश्यक है।

च) बैंको के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों को सूचित किया गया है कि वे व्यक्तिगत रुप से एएमएल / पीएमएलए दिशानिर्देशों का बैंक अधिकारियों द्वारा अनुपालन पर निगरानी रखें. तथा यह सुनिश्चित करे कि आवश्यक सिस्टम और क्रियाविधि है और परिचालन स्तर तक अनुदेश पहुच रहे हैं। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि गंभीर चूक तथा निर्धारित क्रियाविधि और दिशानिर्देशों का इरादतन विरोध के लिए दायित्व निर्धारण की प्रणाली है।

नकदी तथा संदेहजनक लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर)

नकदी लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर)

2.16.1 सम्बन्धित फार्मेट के अनुदेश वाले हिस्से में सभी प्रकार की रिपोर्टें फाइल करने के अनुदेश दिये गये हैं। बैंकों को निम्नलिखित का कड़ाई से अनुपालन करना चाहिए:

(i) प्रत्येक माह की नकदी लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर) अगले महीने की 15वीं तारीख तक एफआइयू - आइएनडी को प्रस्तुत कर देनी चाहिए। अतः शाखाओं को अपने नियंत्रक कार्यालयों को नकद लेनदेन की सूचना अनिवार्य रूप से मासिक आधार पर (**पखवाड़े के आधार पर नहीं**) भेजनी चाहिए तथा बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक माह नकदी लेनदेन रिपोर्ट एफआइयू-एनडी को निर्धारित समय में भेज दी जाती है । सीटीआर के संबंध में रु 10 लाख की सीमा इंटीग्रली जुडे हुए नकदी लेनदेन पर भी लागू हैं।

(ii) जहां जाली अथवा नकली भारतीय मुद्रा नोटों का असली के रूप में उपयोग किया गया हो, वहां ऐसे सभी नकद लेनदेनों की सूचना प्रधान अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट फॉर्मेट (जाली मुद्रा रिपोर्ट-सीसीआर)में एफआइयू-आइएनडी को तत्काल भेजी जानी चाहिए। इन नकद लेनदेनों में ऐसे लेनदेन भी शामिल होने चाहिए जहां मूल्यवान प्रतिभूति अथवा दस्तावेजों की जालसाजी की गई है। यह सूचना एफआइयू-आइएनडी को प्लेन टेक्स्ट में भेजी जानी चाहिए।

(iii) सीटीआर फाइल करते समय, पचास हजार रूपये से कम राशि के अलग-अलग लेनदेनों को शामिल न किया जाए।

(iv) सीटीआर में केवल वही लेनदेन होने चाहिए जो बैंक ने अपने ग्राहकों की ओर से किए हैं। बैंक के आंतरिक खातों के बीच किए गए लेनदेन इसमें शामिल नहीं होंगे।

(v) बैंक के प्रधान अधिकारी द्वारा समग्र रूप में बैंक के समूचे नकदी लेनदेनों की रिपोर्ट का सारांश विनिर्दिष्ट प्रपत्र के अनुसार भौतिक रूप में संकलित किया जाना चाहिए। इस संक्षिप्त रिपोर्ट पर प्रधान अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए तथा एफआइयू-आइएनडी को भेजा जाना चाहिए ।

(vi) बैंकों द्वारा कोर बैंकिंग सोल्यूशन वाली शाखाओं के संबंध में केंद्रीय आंकड़ा केंद्र के स्तर पर केंद्रीय रूप से संकलित की जानेवाली नकदी लेनदेन रिपोर्टों के मामले में बैंक कोर बैंकिंग सोल्यूशन वाली शाखाओं से संबंध्ति केंद्रीकृत नकदी लेनदेन रिपोर्ट एक स्थल पर तैयार कर सकते हैं और एफआइयू-आइएनडी को भेज सकते हैं, बशर्ते :

क) नकदी लेनदेन रिपोर्ट 1 जुलाई 2008 के 'अपने ग्राहक को जानिए' मानदंड/धनशोधन निवारण मानक/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध / धनशोधन निवारण अधिनियम (पी एल एम ए) 2002 के अन्तर्गत बैंकों के दायित्व से संबंधित मास्टर परिपत्र के पैरा 2.15(iv) (ख) में रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित फार्मेट में बनायी गयी हो ।

ख) शखा की ओर से एफआइयू-इंडिया को जो मासिक नकदी लेनदेन रिपोर्ट दी गयी हो, उसकी एक प्रतिलिपि संबंधित शाखा में उपलब्ध रहनी चाहिए ताकि लेखा परीक्षक/निरीक्षकों के मांगने पर उसे प्रस्तुत किया जा सके ।

ग) पैरा 2.15 (i), (ii) और (iii) में निहित "लेनदेन के रिकार्ड का रख-रखाव" "परिरक्षित की जानेवाली सूचना" तथा "रिकार्डों का रख-रखाव व परिरक्षण" संबंधी अनुदेशों का शाखा द्वारा कड़ाई से पालन किया जाता है ।

तथापि, जो शाखाएं सीबीएस के अंतर्गत नहीं हैं, उनके संबंध में मासिक नकदी लेनदेन रिपोर्ट का संकलन जारी करना चाहिए तथा शाखा द्वारा उसे प्रधान अधिकारी को भेजा जाना चाहिए ताकि वे एफआइयू-आइएनडी को उक्त रिपोर्ट भेज सकें ।

संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर)

2.16.2 (i) संदिग्ध लेनदेन का निर्धारण करते समय बैंक समय समय पर संशोधित धन शोधन निवारण नियमावली में निहित 'संदिग्ध लेनदेन' की परिभाषा को ध्यान में रखें ।

(ii) यह संभव है कि कुछ मामलों में ग्राहकों को कुछ ब्योरे देने अथवा दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहे जाने पर ग्राहक अपने लेनदेन का परित्याग करे अथवा उसे बीच में ही रोक दे। यह स्पष्ट किया जाता है कि बैंकों को एसटीआर में लेनदेन के ऐसे सभी प्रयासों के संबंध में सूचना देनी चाहिए, भले ही ग्राहकों ने इन लेनदेनों को अधूरा छोड़ दिया हो।

(iii) बैंक लेनदेन की राशि पर तथा /अथवा धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की अनुसूची के भाग - ख में तिरूपित अपराधों के लिए परिकल्पित न्यूनतम सीमा पर ध्यान दिए बिना एसटीआर तब बनाए जब उनके पास यह विश्वास करने के लिए उचित आधार है कि लेनदेन में सामान्यतः अपराध से प्राप्त राशि सम्मिलित है।

(iv) विद्यमान अनुदेशों के अनुसार जब कोई बैंक ग्राहक के संबंध में समुचित सावधानी के उपाय लागू नहीं कर पाता है तो उसे खाता नहीं खोलना चाहिए (या किसी मौजूदा खाते को बंद करने पर विचार करना चाहिए)। यह स्पष्ट किया जाता है कि उन परिस्थितियों में जहां बैंक को यह विश्वास हो गया है कि वह खाता धारक की सही पहचान के संबंध में संतुष्ट नहीं हो सकेगा तो उसे एफआइयू-आइएनडी के पास एक संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट भी फाइल करनी चाहिए ।

(v) कोई भी लेनदेन चाहे नकदी हो या नकदी से इतर या लेनदेनों की एक श्रृंखला जो समग्रतः आपस में जुड़े हों, संदिग्ध स्वरूप के हैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचने के 7 दिनों के भीतर संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) प्रस्तुत कर देनी चाहिए। प्रधान अधिकारी को वे कारण रिकार्ड करने चाहिए जिससे किसी लेनदेन या लेनदेनों की श्रृंखला को संदिग्ग्ध माना गया है। यह सुनिश्चित किया जाए कि एक बार किसी शाखा या अन्य कार्यालय से संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ऐसे किसी निर्णय पर पहुँचने में अनावश्यक देरी नहीं करनी चाहिए। ऐसी रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारियों के अनुरोध पर उन्हें उपलब्ध करायी जाए ।

(vi) स्टाफ को अपने ग्राहक को जानिए /धन शोधन निवारण के संबंध में जागरूक बनाने के लिए तथा संदिग्ध लेनदेन के लिए सतर्कता संकेत तैयार करने के लिए बैंक 'बैंकों के लिए आइबीए के मार्गदर्शी नोट 2005' के अनुबंध 5 में निहित संदिग्ध गतिविधियों की निदर्शी सूची देखें।

(vii) बैंक उन खातों पर कोई प्रतिबंध न लगाएं जहां एसटीआर रिपोर्ट भेजी गई है । तथापि यह सुनिश्चित किया जाए कि ग्राहक को किसी भी स्तर से **गुप्त रूप से सचेत** (टिपिंग ऑफ़) नहीं किया जाए ।

2.17 ग्राहक शिक्षण / कर्मचारियों का प्रशिक्षण / कर्मचारियों को काम पर रखना

क) ग्राहक शिक्षण

'अपने ग्राहक को जानिए' क्रियाविधि के कार्यान्वयन के संदर्भ में बैंकों के लिए ग्राहकों से कुछ ऐसी जानकारी मांगना आवश्यक होता है जो वैयक्तिक स्वरूप की हो अथवा जिसकी इसके पहले कभी मांग न की गयी हो। इससे कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि ग्राहक ऐसी जानकारी माँगने के उद्देश्य तथा प्रयोजन के बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछे । अतः ग्राहक को 'अपने ग्राहक को जानिए' कार्यक्रम के उद्देश्यों के बारे में जानकारी देने के लिए यह आवश्यक है कि बैंक संबंधित विशिष्ट साहित्य/प्रचार-पुस्तिका आदि तैयार करें। फ्रंट डेस्क स्टाफ को ग्राहकों के साथ बातचीत करते समय ऐसी परिस्थितियों को संभालने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

ख) कर्मचारियों का प्रशिक्षण

बैंकों को लगातार कर्मचारी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने चाहिए ताकि स्टाफ-सदस्य 'अपने ग्राहक को जानिए' क्रियाविधियों में पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित हो सकें। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में फ्रंटलाइन स्टाफ, अनुपालन (कंप्लायंस) स्टाफ तथा नये ग्राहक के साथ व्यवहार करने वाले स्टाफ को दिये जाने वाले प्रशिक्षण के केंद्र बिंदु अलग-अलग होने चाहिए। यह अत्यंत आवश्यक है कि सभी संबंधित स्टाफ-सदस्य 'अपने ग्राहक को जानिए' नीतियों के औचित्य को पूरी तरह समझते हैं और उनका निरंतर कार्यान्वियन करते हैं ।

ग) कर्मचारियों को काम पर रखना

यह ध्यान में रखा जाए कि 'अपने ग्राहक को जानिए' मानदंड /धनशोधन निवारण /आतंकवाद वित्तपोषण प्रतिरोध उपाय यह सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित किए गए हैं ताकि अपराधी बैंकिंग सरणि का दुरुपयोग न कर सकें। अतः बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे कार्मिकों की नियुक्ति/ नियोजन की अपनी प्रक्रिया के एक अविभाज्य भाग के रूप में समुचित स्क्रीनिंग प्रणाली स्थापित करें।

<u>अनुबंध I</u>

ग्राहक पहचान क्रियाविधि
सत्यापित किये जानेवाले पहलू और ग्राहकों से प्राप्त किये जाने वाले दस्तावेज

पहलू	दस्तावेज
व्यक्तियों के खाते - विधिक नाम और प्रयोग में लाए गए अन्य नाम - सही स्थायी पता	(i) पासपोर्ट (ii) पैन कार्ड (iii) मतदाता पहचान पत्र (iv) ड्राइविंग लाइसेंस (v) पहचान पत्र (बैंक के संतुष्ट होने की शर्त पर) (vi) बैंक की संतुष्टि के लिए मान्यताप्राप्त सरकारी प्राधिकारी या सरकारी कर्मचारी द्वारा ग्राहक के पहचान तथा निवास को सत्यापित करता हुआ पत्र (i) टेलीफोन बिल (ii) बैंक खाता विवरण (iii) किसी मान्यताप्राप्त सरकारी प्राधिकारी से पत्र (iv) बिजली का बिल (v) राशन कार्ड (vi) नियोक्ता से पत्र (बैंक के संतुष्ट होने की शर्त पर) (ऐसा कोई भी एक दस्तावेज पर्याप्त है जो बैंक को ग्राहक की जानकारी के संबंध में संतुष्ट करता हो)
कंपनियों के खाते - कंपनी का नाम - कारोबार का प्रमुख स्थान - कंपनी का डाक पता - टेलीफोन/फैक्स संख्या	(i) निगमन और संस्था के बहिर्नियम और अंतर्नियम के संबंध में प्रमाणपत्र (ii) खाता खोलने के संबंध में निदेशक बोर्ड का प्रस्ताव और जिन्हें खाता चलाने का अधिकार है उनकी पहचान (iii) उनकी ओर से कारोबार चलाने हेतु अपने प्रबंधकों, अधिकारियों या कर्मचारियों को प्रदत्त मुख्तारनामा (iv) पैन आबंटन पत्र की प्रतिलिपि (v) टेलीफोन बिल की प्रतिलिपि
भागीदारी फर्म के खाते - विधिक नाम - पता - भागीदारों के नाम और पते - फर्म और भागीदारों के टेलीफोन नंबर	(i) पंजीकरण प्रमाणपत्र यदि पंजीकृत हो (ii) भागीदारी विलेख (iii) उनकी ओर से कारोबार चलाने हेतु किसी भागीदार या फर्म के कर्मचारी को प्रदत्त मुख्तारनामा (iv) भागीदारों और मुख्तारनामा धारित व्यक्तियों और उनके पते की पहचान कराता कोई भी अधिकारिक वैध दस्तावेज (v) फर्म/भागीदारों के नाम, टेलीफोन बिल
न्यासों और संस्थानों के खाते - न्यासियों, सेटलर्स हितार्थी और हस्ताक्षरकर्ताओं के नाम - संस्थापकों, प्रबंधकों/निदेशकों और हितार्थी के नाम और पते - टेलीफोन/फैक्स नंबर	(i) पंजीकरण प्रमाण यदि पंजीकृत हो (ii) उनकी ओर से कारोबार चलाने हेतु प्रदत्त मुख्तारनामा (iii) न्यासियों, सेटलर्स, हितार्थी और मुख्तारनामा धारित व्यक्तियों, संस्थापकों /प्रबंधकों /निदेशकों और उनके पते की पहचान कराता कोई भी आधिकारिक वैध दस्तावेज (iv) फाउंडेशन/एसोसिएशन के प्रबंधन निकाय का प्रस्ताव (v) टेलीफोन बिल

अनुबंध II

विभिन्न रिपोर्टों की सूची तथा उनके फॉर्मेट

1. नकद लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर)
2. सीटीआर का सारांश
3. सीटीआर - इलैक्ट्रॉनिक फाइल संरचना
4. संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर)
5. एसटीआर - इलैक्ट्रॉनिक फाइल संरचना
6. नकली मुद्रा रिपोर्ट (सीसीआर)
7. सीसीआर का सारांश
8. सीसीआर - इलैक्ट्रॉनिक फाइल संरचना

<u>परिशिष्ट</u>

’अपने ग्राहक को जानिए’ मानदंड/धनशोधन निवारण मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध / धनशोधन निवारण अधिनियम (पी एल एम ए) , 2002 के अन्तर्गत बैंकों के दायित्व से संबंधित मास्टर परिपत्र

क. मास्टर परिपत्र में समेकित किए गए परिपत्रों की सूची

क्र. सं.	परिपत्र सं.	तारीख	विषय
1.	शबैंवि. केंका. बीपीडी (पीसीबी) परिपत्र सं. 9 /14.01.062 /10-11	02.05.2011	धनशोधन निवारण(एएमएल) / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) - मानक - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
2.	शबैंवि. केंका. बीपीडी (पीसीबी) परिपत्र सं. 8 /14.01.062 /10-11	02.05.2011	धनशोधन निवारण(एएमएल) / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) - मानक - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
3.	शबैंवि. केंका. बीपीडी (पीसीबी) परिपत्र सं. 7 /14.01.062 /10-11	17.03.2011	धनशोधन निवारण(एएमएल) / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)
4.	शबैंवि. केंका. बीपीडी (पीसीबी) परिपत्र सं. 6 /14.01.062 /10-11	17.03.2011	धनशोधन निवारण(एएमएल) / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) - मानक
5.	शबैंवि.बीपीडी(पीसीबी) परिपत्र सं. 37 /12.05.001 /10-11	18.02.2011	अपने ग्राहक को जानिए मानदंड/धनशोधन निवारण मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध / धनशोधन निवारण अधिनियम (पी एल एम ए) , 2002 के अन्तर्गत बैंकों के दायित्व
6.	शबैंवि. केंका. बीपीडी. स. 35 /12.05.001 /10-11	10.01.2011	बैंक खाते खोलना - वेतनभोगी कर्मचारी
7.	शबैंवि.बीपीडी(पीसीबी) परिपत्र सं. 32 /12.05.001 /10-11	28.12.2010	अपने ग्राहक को जानिए मानदंड/धनशोधन निवारण मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध / धनशोधन निवारण अधिनियम (पी एल एम ए) , 2002 के अन्तर्गत बैंकों के दायित्व
8.	शबैंवि.बीपीडी(पीसीबी) परिपत्र सं. 17 /14.01.062 /10-11	25.10.2010	अपने ग्राहक को जानिए मानदंड/धनशोधन निवारण मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध
9.	शबैंवि.बीपीडी(पीसीबी) परिपत्र सं. 12 /12.05.001 /10-11	15.09.2010	धनशोधन निवारण (लेनदेन के स्वरूप और मूल्य के अभिलेखों का रखरखाव, सूचना प्रस्तुत करने की समय सीमा और उसके रखरखाव की क्रियाविधि और पद्धति तथा बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं और मध्यवर्ती संस्थाओं के ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का सत्यापन और रखरखाव) संशोधन नियमावली, 2010 - बैंकों के दायित्व
10.	शबैंवि.बीपीडी(पीसीबी) परिपत्र सं. 11 /12.05.001 /10-11	25.08.2010	अपने ग्राहक को जानिए मानदंड/धनशोधन निवारण मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध / धनशोधन निवारण अधिनियम (पी एल एम ए) , 2002 के

			अन्तर्गत बैंकों के दायित्व
11.	शबैंवि.बीपीडी(पीसीबी) परिपत्र सं. 10 /12.05.001 /10-11	25.08.2010	अपने ग्राहक को जानिए मानदंड/धनशोधन निवारण मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध / धनशोधन निवारण अधिनियम (पी एल एम ए) , 2002 के अन्तर्गत बैंकों के दायित्व
12.	शबैंवि.बीपीडी(पीसीबी) परिपत्र सं. 10 /12.05.001/10-11	23.08.2010	अपने ग्राहक को जानिए मानदंड/धनशोधन निवारण मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध / धनशोधन निवारण अधिनियम (पी एल एम ए) , 2002 के अन्तर्गत बैंकों के दायित्व
13.	शबैंवि.बीपीडी(पीसीबी) परिपत्र सं. 7 /14.01.001 /10-11	12.08.2010	अपने ग्राहक को जानिए मानदंड/धनशोधन निवारण मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध
14.	शबैंवि.बीपीडी(पीसीबी) परिपत्र सं. 71/12.05.001 /09-10	15.06.2010	धनशोधन निवारण (लेनदेन के स्वरूप और मूल्य के अभिलेखों का रखरखाव, सूचना प्रस्तुत करने की समय सीमा और उसके रखरखाव की क्रियाविधि और पद्धति तथा बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं और मध्यवर्ती संस्थाओं के ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का सत्यापन और रखरखाव) संशोधन नियमावली, 2010- बैंकों /अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के दायित्व
15.	शबैंवि.बीपीडी.केंका 53/ 14.01.062/09-10	01.04.2010	"अपने ग्राहक को जानिए" मानदंड/धनशोधन निवारण मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध
16.	शबैंवि.बीपीडी.केंका.एनएसबी 1/38/12.03.000/09-10	23.12.2009	"अपने ग्राहक को जानिए" मानदंड- स्वामित्व प्रतिष्ठान के खाते
17.	शबैंवि.(पीसीबी).केंका बीपीडी .परिपत्र सं 71/ 12.05.001/09-10	18.12.2009	"अपने ग्राहक को जानिए" मानदंड/धनशोधन निवारण मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध
18.	शबैंवि.(पीसीबी).केंका बीपीडी .परिपत्र सं 35/ 14.01.062/09-10	17.12.2009	"अपने ग्राहक को जानिए" मानदंड/धनशोधन निवारण मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध
19.	शबैंवि.(पीसीबी).केंका बीपीडी .परिपत्र सं 33/ 14.01.062/09-10	17.12.2009	"अपने ग्राहक को जानिए" मानदंड/धनशोधन निवारण मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध
20.	शबैंवि.केंका.बीपीडी . पीसीबी परिपत्र सं 23/ 12.05.001/09-10	16.11.2009	'अपने ग्राहक को जानिए' मानदंड/धनशोधन निवारण मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध / धनशोधन निवारण अधिनियम (पी एल एम ए) , 2002 के अन्तर्गत बैंकों के दायित्व- शसबैं
21.	शबैंवि.केंका.बीपीडी . पीसीबी परिपत्र सं 21/ 12.05.001/09-10	16.11.2009	आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध-विधि विरुद्ध क्रियाकलाप(निवारण) अधिनियम, 1967-बैंकों के दायित्व-शसबैं
22.	शबैंवि.बीपीडी.केंका. एनएसबी 111/12.03.000/09-10	29.09.2009	"अपने ग्राहक को जानिए" मानदंड- स्वामित्व प्रतिष्ठान के खाते

23.	शबैंवि.केंका.बीपीडी . पीसीबी परिपत्र सं 9/ 12.05.001/09-10	16.09.2009	बहुस्तरीय मार्केटींग फर्मों के खाते खोलने तथा उनके परिचालन में केवायसी /एएमएल दिशनिर्देशों का पालन
24.	शबैंवि.केंका.बीपीडी . पीसीबी परिपत्र सं 1/ 12.05.001/08-09	02.07.2008	धनशोधन निवारण अधिनियम (पी एल एम ए) , 2002 के अन्तर्गत अधिसूचित कानून के अनुसार बैंकों के दायित्व- शसबैं
25.	शबैंवि.केंका.बीपीडी . पीसीबी परिपत्र सं 32/ 09.39.000/07-08	25.02.2008	अपने ग्राहक को जानिए' मानदंड/धनशोधन निवारण मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध
26.	शबैंवि.केंका.बीपीडी . पीसीबी परिपत्र सं 45/12.05.001/07-08	25.05.2007	अपने ग्राहक को जानिए' मानदंड/धनशोधन निवारण मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध-वायर अंतरण
27.	शबैंवि.बीपीडी . परिपत्र सं 38/09.16.100/05-06	21.03.2006	धनशोधन निवारण अधिनियम (पी एल एम ए) , 2002 के अन्तर्गत अधिसूचित कानून के अनुसार बैंकों के दायित्व- शसबैं
28.	शबैंवि.बीपीडी . पीसीबी परिपत्र सं 11/09.161.00/05-06	23.08.2005	अपने ग्राहक को जानिए मानदंड-दिशानिर्देश -धनशोधन निवारण मानक- शहरी सहकारी बैंक
29.	शबैंवि. पीसीबी परिपत्र सं 6/09.161.00/05-06	03.08.2005	बाढ प्रभावित लोगों के लिए बैंक खाता खोलने हेतु सुसाध्य करना
30.	शबैंवि. पीसीबी परिपत्र सं 30/09.161.00/04-05	15.12.2004	अपने ग्राहक को जानिए मानदंड-दिशानिर्देश -धनशोधन निवारण मानक- शहरी सहकारी बैंक
31.	शबैंवि.बीपीडी . पीसीबी परिपत्र सं 02/09.161.00/04-05	09.07.2004	अपने ग्राहक को जानिए मानदंड-दिशानिर्देश-अनुपालन
32.	शबैंवि.बीपीडी . पीसीबी परिपत्र सं 48/09.161.00/03-04	29.05.2004	अपने ग्राहक को जानिए मानदंड-दिशानिर्देश-अनुपालन
33.	शबैंवि.बीपीडी . पीसीबी परिपत्र सं 41/09.161.00/03-04	26.03.2004	अपने ग्राहक को जानिए मानदंड-दिशानिर्देश-अनुपालन
34.	शबैंवि.डीएस. पीसीबी परिपत्र सं 17/13.01.00/02-03	18.09.2002	अपने ग्राहक को जानिए मानदंड एवं नकद अंतरण पर दिशानिर्देश